

10598
06/07/21

Appendix A(i)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
PRESENTATION FORM FOR CIVIL MATTERS
Columns in dark to be filled in by the Registry

Case Title	Code
Token No.	
Case No.	
Filed Under Sections	Impugn vehicle 226 of CrP Act 1973
District	Code
Before Single Judge / Division Bench / Spl. Bench	

Subject Matter	
(offens) University Service Matter	
Code	
Act Code	

Petitioner's/Appellant's/Applicant's
(Original Party Name, Age & Gender)

Rajan Kumar, sex-male-age 23 years

Mobile No., E-mail ID & Address (with pin code)	
9431043413	
Advocate's Name	Code
Purusottam Kumar Jha	03189

Respondent's/Opponent's (Original Party Name, Age & Gender)

The Chancellor of University

Mobile No., E-mail ID & Address (with pin code)	
Advocate's Name	Code

Particulars of the Court / Authority below		Code
Case Type	Number	Year
Case		2021
Date of impugned decision/order		

Particulars of the Court / Authority of first instance		Code
Case Type	Number	Year
Case		2021
Date of decision / order of Court / Authority of first instance		

In case of group, particulars of lead/other matters:-

--

Advanced Copy Served to Otherside/Caveator /G.P.

Presented With Court Fee Stamp:

On the Memo	Rs. 200/-
On the Vakalatnama	Rs. 15/-
On the Certified Copies	Rs. 00
On the Affidavit	Rs. 20/-
Total Rs.	225/-

Total (in words) Rupees
Advocates' Welfare Fund Stamp

Rs. 0/-

Presented for
Presented by (Sign)

SANTOSH KUMAR PANDEY Name
This 06 day of 07 2021

Received By	
Entries Made By	
Checked By	

Received additional Court Fee Stamp of Rs.

Total (in words) Rupees
This 06 day of 07 2021

Received Clerk	
----------------	--

Date: 06.07.21
Advocate:

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. of 2021

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India,

And

In the matter of ;

Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex – Male, S/o Jitendra Singh, R/o
Village – Jagdishpur, P.O.+P.S. – Maharajganj, Distt – Siwan, PIN -
841238.

..... PETITIONER

Versus

1. The Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Governor Secretariat,
Raj Bhawan, Patna.
3. The Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna.
4. The J.P. University, Chapra through its Registrar.
5. The Vice Chancellor, J.P. University, Chapra.
6. Dr Ravi Prakash "Babloo", Associate Professor, Department of
Philosophy, H.R.College, Mairwa (a constituent unit of the
J.P.University, Chapra), presently posted as the Registrar, J.P.
University, Chapra.
7. The State of Bihar, through the Additional Chief Secretary, Education
Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna - 800015

..... RESPONDENTS

Through: - 11
Ramesh Chandra Singh
Advocate
Date: 03/18/21

Mr. Chandra
Received TWO COPY
R.D. Gupta Adv Party
Chancellor A.O.A.
Old 82
13/7/21

NOTICE

From, Avani Kumar Jha, Ch. No - 39, B.B.C.B.
Patna High Court, Patna
(Mob No. - 9199427875)
Advocate for the Petitioner,
Patna High Court, Patna.

To,

Govt. of Bihar.

Ref :- Cr. Misc No. of 2021

Rajan Kumar

..... Petitioner

Versus

The Chancellor of University of Bihar
..... Opposite Party.
Kasim Khan

Sir,

Please take notice that the above mentioned case is going to be filed a copy of which is being served to you for your use and information.

Kindly acknowledge the receipt.

Received
Mr. Ritesh Kumar Adv.
for J.P.U. No. - 00063
Ritesh Kumar Adv
13/7/21

Received a Notice/Copy
Petition
Shri. Subodh Chandra
A.O.R. No. -
will appear on behalf of the state

Advocate
No. - 03548
Date: - 6.07.21
Self

Section Officer/Receiving Incharge
Advocate General Office,
Patna High Court, Patna

13/07/21

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C.No. / 2021

Rajan Kumar Petitioner

Versus

The Chancellor of Universities, & Ors Respondents

INDEX

Subject: - (Others) University Service Matter

Sl	Particulars	Page
1	SYNOPSIS with List of Dates & Events	I-VII
2	An application under Article 226 of the Constitution of India with an affidavit and petitioner's adhar card	1 - 20
3	Ann - 1 A true copy of Memo no BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021	21
4	Ann - 2 A true copy of Letter No.4570 - Est-I dated 19.05.2021	22
5	Ann 3 & 4 True copies of representations of the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021	23 - 28
6	Ann -5, 6, 7 & 8 True copies of the Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dt 30.01.2015; Saran Sadar Mufassil P.S.Case No. 261 / 15 dt 16.10.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 15 dt 31.12.2015 & Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347/15 dated 31.12.2015	29 - 66
7	Ann - 9 A true copy of Ref. No. J.P.U. - 21 / 2014 -	67

		1294 dated 04.09.2015	
8	Ann - 10	A true copy of Ref. No. J.P.U. – 27 / 2015 – 1309 dated 10.09.2015	68
9	Ann - 11	A true copy of the Charge Sheet dated 12/13.10.2015 in Vigilance P.S.Case No. 10/2015	69 - 75
10	Ann - 12 & 12 / 1	A true copy of Memo No. JPU – 21 / 2014-1628 / GS(I) dated 02.12.2015 along with order dated 02.12.2015 of the Hon'ble Chancellor	76 – 78
11	Ann - 13	A true copy of Memo No. JPU – 27/ 2014 - 1595 / GS (I) dated 26.11.2014	79
12	Ann 14 & 15	True copies of Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 & Letter No. 1660 dt 24.12.2014	80 – 81
13	Ann - 16	A true copy of Letter No. VC 539 dated 09.12.2015	82
14	Ann 17 & 18	True copies of Letter No. JPU (Appeal) – 13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 and Memo No. 7254 / R dated 19.12.2015	83 – 89
15	Ann - 19	A true copy of Letter No. 7912 – Est I (R) dated 30.07.2016	90 – 91
16	VAKALATNAMA		

J

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. / 2021

Rajan Kumar Petitioner

Versus

The Chancellor of Universities, & others ... Respondents

Synopsis

I. To hold and declare that the Respondent No. 5, who has been facing serious charges of corruption *{in relation where to Vigilance P.S. Case No. 10/2015 has been instituted against the petitioner, and in relation whereto, one other Co-accused namely Professor Dwijendra Gupta, the then Vice Chancellor of the Respondent University has been dismissed by the then Chancellor of Universities vide order dated 02.12.2015 (Annexure -) from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra,}* and is accused in several other criminal cases, could have not been appointed on the important post of Registrar of the J.P.University, Chapra.

II. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Notification as contained in Memo no BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 issued by the Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna (Respondent No 2) whereby and where under the Respondent No. 5 (who is named accused in at least Six (6) criminal cases, have been appointed on the post of Registrar, J.P. University, Chapra, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar.

A true copy of Memo no BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 is annexed herewith as **Annexure - I** to this writ petition.

III. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Office Order as contained in Letter No.4570 – Est - I dated 19.05.2021 issued by the Registrar of the Respondent University whereby and where under it has been held out that pursuant to the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar as contained in Annexure – I to this writ petition, the Respondent No. 5 has assumed the charge on the post of Registrar, J.P. University, Chapra in the

afternoon of 19.05.2021 itself.

A true copy of Letter No.4570 - Est-1 dated 19.05.2021 is annexed herewith as **Annexure - 2** to this writ petition.

IV. To hold and declare that the action of the Respondent No. 1 in not taking final decision in connection with the representations submitted by the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 is highly illegal, arbitrary, malafide malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and is fit to be deprecated by this Hon'ble Court in strong words.

True copies of representations of the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 are annexed as **Annexure - 3 & 4** to this writ petition.

V. For grant of any other relief or reliefs to the petitioner may be found entitled to in the given facts and circumstances of this case.

	The petitioner, a student of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan and during 2018 election, the petitioner was elected as the President of the Student Union of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan (a constituent Unit of the J.P.University, Chapra) and he has regularly been pursuing for the protection of the interest of the students and smooth teaching of the students in the College in hand and the Respondent University.
	The Respondent No. 5 has been involved in several Criminal Cases, on account of which, the Respondent No. 1 could have not been appointed on the post of Registrar of the J.P.University, Chapra. The petitioner has brought on record the details of the criminal case in paragraph no. 5 in a tabular chart.
	In view of the facts narrated herein above it becomes crystal clear that the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 on the post of J.P.University, Chapra is wholly unsustainable, for the reason that against the Respondent No. 5 several criminal cases have been lodged.
27.11.2014	In compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of

	Universities, the then Vice Chancellor of the Respondent University on the one hand by way of issuing Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 relieved the Respondent No. 5 to join R.B.G.R.College, Maharajganj, and on the other hand issued yet another order deputing the Respondent No. 5 again in the University. This fact in itself shows that the order of the Hon'ble Chancellor of Universities were being flouted by the then Vice Chancellor of the University in hand as well as by the Respondent No. 5.
30.01.2015	Said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015 has been lodged in connection with the large scale financial irregularities committed by the authorities concerned of the Respondent University including the Respondent No. 5.
04.09.2015	In connection with the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. - 21 / 2014 - 1294 dated 04.09.2015
10.09.2015	In connection with the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. - 27 / 2015 - 1309 dated 10.09.2015, addressed to the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna, had granted sanction for prosecution against the Respondent No. 5, under section 19 of Prevention of Corruption act'1988 and Section 197 of the Code of Criminal Procedure.
12/13.10.15	Consequent upon grant of sanction of prosecution by the Hon'ble Chancellor of Universities vide Annexure - 9 & 10 to this writ petition, the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna filed Charge Sheet against the persons accused including the then Vice Chancellor of the Respondent University as well as the Respondent No. 5 on 12/13.10.2015 in the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015.

24.11.2015	Under the order of Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU - 27 / 2015 - 1607 रा० सं० (1) dated 24.11.2015, the Respondent University by way of issuing Letter No. VC 539 dated 09.12.2015 removed the Respondent No. 5 from the post of Registrar / CCDC / PRO of the Respondent University with immediate effect, with a further direction to the Respondent No. 5 to join his parent organization i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan.
02.12.2015	Based upon the said charge of gross / serious charge of financial irregularity as contained in Annexure - 5 & 11 of this writ petition, the Respondent No. 1 passed an order on 02.12.2015, under Section 11 (2) of the Bihar State Universities Act'1976, whereby the said Prof. Dwijendra K Gupta has been removed from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra
	The Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar (the Respondent No. 1), ordered for reverting back the services of the Respondent No. 5 to his parent College i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj with immediate effect. The said order of the Hon'ble Chancellor of Universities came to be communicated by the Additional Secretary, Governor's Secretariat, Bihar to the Vice Chancellor of the Respondent University vide Memo No. JPU - 27/ 2014 - 1595 / GS (I) dated 26.11.2014, whereby the Vice Chancellor of the Respondent University had been directed to comply with the said order of the Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar immediately. It is further stated here that the copy of the said order had also been sent to the Respondent No. 5 for information and necessary action into the matter.
19.12.2015	Based upon the said charge of gross/serious charge of financial irregularity as contained in Annexure -5 &11 of this writ petition and on the basis of the order passed by the Hon'ble Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU - 27 / 2015 - 1607 /GS(I) dated 24.11.2015, the Respondent No. 5 was placed under

	<p>suspension with immediate effect and to the said effect an Office Order was issued by the Registrar of the Respondent University vide Memo No. 7255/R dated 19.12.2015. It is further stated here that vide Memo No. 7254/R dated 19.12.2015 seven other officers of the Respondent University were also placed under suspension, who had been facing the said charge of financial corruption in the Respondent University.</p>
28.07.2016	<p>The Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by a common order dated 28.07.2016 disposed of the said appeals preferred by the Respondent No. 5 and seven other officers of the J.P.University, Chapra, which came to be communicated by the O.S.D. (Judicial) vide Letter No. JPU (Appeal) -13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 to the parties concerned.</p>
	<p>The Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna in his said order dated 28.07.2016 has observed in an unambiguous terms that :-</p> <p><i>"The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceeding against the appellants and the committee was of the opinion that, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated /selection / appointed to any statutory body / committee of the University till the pendency of the case in the High Court. Also they may be transferred to other colleges / departments as punitive major after revocation of their suspension."</i></p> <p><i>The University further submitted that an F.I.R. was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files."</i></p>

30.07.2016	<p>In compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna dated 28.07.2016, the then Registrar of the Respondent University vide Letter No. 7912 – Est I (R) dated 30.07.2016 revoked the order of suspension of the said eight persons including the Respondent No. 5 from the date of their suspension. By the said order dated 30.07.2016, the Respondent J.P.University, Chapra has passed further following order in relation to the said eight teachers of the Respondent University including Respondent No. 5 :-</p> <p><i>“Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect, until further order to the college where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above.”</i></p>
	<p>The facts narrated herein above make it crystal clear that the finding recorded by the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, is holding its field and the same has not been altered / modified by any competent authority / forum / court. Thus in the given facts of the case and in view of the recommendation of the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, the Respondent No. 5 could have not been appointed as the Registrar of the Respondent University.</p>
	<p>In addition to the said facts, one more important fact is there against the Respondent No. 5 that he is involved in several (7) criminal cases (detailed in paragraph no. 5 of this writ petition) as such, the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University by the Respondent No. 1 is wholly illegal / arbitrary / malafide / malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and on this score also the order impugned dated</p>

	19.05.2021 (Annexure - 1) is fit to be set aside by this Hon'ble Court.
	As per the prevailing norms appointment on the post of Registrar in a University can be made on the basis of the recommendation of the duly constituted search committee, but the Respondent No. 5 has been appointed by the Respondent No. 1 without there being any recommendation of the duly constituted search Committee, as such the appointment of the Respondent no. 5 as the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is wholly without jurisdiction, as such is fit to be set aside by this Hon'ble Court.
	If the said illegal and unauthorised appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is allowed to continue, the same will cause many fold problems in the smooth functioning of the Respondent University and on account of the same the evidences relating to the pending criminal cases lying in the Respondent University may adversely be tampered with by the Respondent No. 5.
	The petitioner for getting his said grievances settled has approached the Respondent No. 1 vide Annexure – 3 & 4 to this writ petition, but the Respondent No. 1, for the reasons best known has preferred to sit tight over the matter. It is further submitted here that the copies of Annexure – 3 and 4 have also been sent to other authorities concerned including the Additional Chief Secretary, Department of Education, Bihar, Patna, but of no avail, hence the petitioner has been left over with no other option but to move before this Hon'ble Court for the redressal of his grievances so raised in paragraph no. 1 of this writ petition.
	HENCE THIS WRIT PETITION

0000

**GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee**

IT 0000950452



DATE & TIME :	06-JUL-2021 14:50:18
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	BIHAR SHCIL PATNA
LOCATION :	HIGH COURT PATNA
NAME OF LITIGANT :	RAJAN KUMAR
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT0650G2149Q336
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 285
	(Rupees Two Hundred Eighty-Five Only)



BRCT0650G2149Q336

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilstamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

*P-01 to 20
A-21 to 32/91
06/07/21*

C.W.J.C. No. of 2021

*Through: 11
Ramesh Chandra Mishra
Advocate
May 03/18/21*

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India,

And

In the matter of;

Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex - Male, S/o Jitendra Singh, R/o
Village - Jagdishpur, P.O.+P.S. - Maharajganj, Distt - Siwan, PIN -
841238.

.... PETITIONER

Versus

1. The Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Governor, Governor Secretariat,
Raj Bhawan, Patna.
3. The Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna.
4. The J.P. University, Chapra through its Registrar.
5. The Vice Chancellor, J.P. University, Chapra.
6. Dr Ravi Prakash "Baboo", Associate Professor, Department of
Philosophy, H.R.College, Mairwa (a constituent unit of the
J.P.University, Chapra), presently posted as the Registrar, J.P.
University, Chapra.
7. The State of Bihar, through the Additional Chief Secretary, Education
Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna - 800015

..... RESPONDENTS

To

The Hon'ble Mr Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and His companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That instant writ application is being filed on behalf of the petitioner above named, praying inter-alia for grant of the following

RELIEF(S):-

I. To hold and declare that the Respondent No. 5, who has been facing serious charges of corruption *{in relation where to Vigilance P.S. Case No. 10/2015 has been instituted against the petitioner, and in relation whereto, one other Co-accused namely Professor Dwijendra Gupta, the then Vice Chancellor of the Respondent University has been dismissed by the then Chancellor of Universities vide order dated 02.12.2015 (Annexure -) from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra,}* and is accused in several other criminal cases, could have not been appointed on the important post of Registrar of the J.P.University, Chapra.

II. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Notification as contained in Memo no BSU (Registrar) -

27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 issued by the Joint Secretary, Governor Secretariat, Raj Bhawan, Patna (Respondent No 2) whereby and where under the Respondent No. 5 (who is named accused in at least Six (6) criminal cases, have been appointed on the post of Registrar, J.P. University, Chapra, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar.

A true copy of Memo no BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) dated 19.05.2021 is annexed herewith as **Annexure - 1** to this writ petition.

III. Issuance of an order, direction or a writ in the nature of Certiorari quashing the Office Order as contained in Letter No.4570 - Est - I dated 19.05.2021 issued by the Registrar of the Respondent University whereby and where under it has been held out that pursuant to the order of the Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar as contained in Annexure - 1 to this writ petition, the Respondent No. 5 has assumed the charge on the post of Registrar, J.P. University, Chapra in the afternoon of 19.05.2021 itself.

A true copy of Letter No.4570 - Est- I dated 19.05.2021 is annexed herewith as **Annexure - 2** to this writ petition.

IV. To hold and declare that the action of the Respondent No. 1 in not taking final decision in connection with the representations submitted by the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 is highly illegal, arbitrary, malafide malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and is fit to be deprecated by this Hon'ble Court in strong words.

True copies of representations of the petitioner dated 08.06.2021 and 05.07.2021 are annexed herewith as Annexure - 3 & 4 to this writ petition.

V. For grant of any other relief or reliefs to the petitioner may be found entitled to in the given facts and circumstances of this case.

2. That the instant writ petition is sought to be maintained on amongst other the following main

GROUND:-

I. Whether the Respondent No. 5, accused in several criminal cases including Vigilance P.S. Case No. 010/2015 dated 30.01.2015 (Annexure - 5), could have been appointed on the post of Registrar of the J.P. University, Chapra, particularly in view of the fact that the then Hon'ble Chancellor of Universities in Bihar himself has dismissed Professor Dwijendra Gupta, the then Vice Chancellor of J.P. University, Chapra, a Co-accused in the said Vigilance P.S. Case No. 010/2015 dated 30.01.2015 ?

II. Whether the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 as the Registrar of the J.P.University, Chapra can be said to be justified, particularly in view of the fact that the Respondent No. 5 is involved in many criminal cases and at the top of it, against him (the Respondent No. 5) there has been the order of the competent authority of the Respondent University to the effect that in future the Respondent No. 5 will not be assigned any work of "Administrative Responsibility" ?.

III. Whether the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the J.P.University, Chapra will adversely affect the evidence in connection with the pending Vigilance P.S.Case No. 10 / 2015 ?

IV. Whether the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University, will adversely affect the smooth functioning of the Respondent University ?

V. Whether the action of the Respondent No. 1 in not considering and deciding the representation of the petitioner dated dated 08.06.2021 and 05.07.2021 is illegal, arbitrary, malafide, malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and is fit to be deprecated by this Hon'ble Court in strong words ?

VI. Whether the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is in

the teeth of the prevailing policy decision, which provides in an unambiguous terms that the appointment on the post of Vice Chancellor / Pro-Vice Chancellor and Registrar of the Universities in Bihar will be made on the basis of the recommendation of the duly constituted Search Committee ?

VII. Whether in the given facts of the case, the order of appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the J.P.University, Chapra is fit to be set aside by this Hon'ble Court ?

3. That the petitioner is citizen of India and the cause of action for filing the instant writ petition has arisen and is lying within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That it is stated and asserted here that the petitioner, a student of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan and during 2018 election, the petitioner was elected as the President of the Student Union of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan (a constituent Unit of the J.P.University, Chapra) and he has regularly been pursuing for the protection of the interest of the students and smooth teaching of the students in the College in hand and the Respondent University. The petitioner craves the leave of this Hon'ble Court to produce the copy of the certificate granted by the Chief Election Officer of the said 2018 Election of the Student Union of R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan, at the time of argument of this case, if required / directed by this Hon'ble Court.

5. That it is stated and asserted here that the Respondent No. 5 has been involved in several Criminal Cases, on account of which, the Respondent

No. 1 could have not been appointed on the post of Registrar of the J.P.University, Chapra. The petitioner has been advised to bring on record, the detailed information as to the Criminal Cases lodged against the Respondent No. 5 in the following table, consideration whereof is required for the just and proper decision of this case :- .

Sl	Details of the Criminal case lodged against the Respondent No. 5 namely Dr. Ravi Prakash "Babloo"	Status of the case
1.	Complaint Case No. 1239 / 2013, filed before the Learned C.J. M.Gopalganj on 20.05.2013 by Nibha Devi W/o Sanjay Mahto, R/o Belsand, P.S. – Barauli, District – Gopalganj, in connection with the incidence taken place on 18.05.2013 at 10 A.M., under Section 323, 452, 382, 380, 354 IPC	Pending
2.	Complaint Case No. 2736 / 2013, filed before the Learned C.J. M.Gopalganj on 03.10.2013 by Rina Devi W/o Bhola Yadav, R/o Madhopur, P.S. – Barauli, District – Gopalganj, in connection with the incidence taken place in between 14.11.201 to 03.10.2013, alleged offence under Section 323, 364, 367, 379 & 34 IPC	Pending
3.	Patna Vigilance P.S.Case No. 010 / 2015 dated 30.01.2015, under section 409, 420, 467, 468, 471, 477(A), 34, 120 (B) IPC; 13(2) read with Section 13 (1) (D) of Prevention of Corruption Act'1988	Pending
4.	Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 261 / 2015 dated 16.10.2015 lodged by Ray Ranvijay Dev, Sectional Officer, J.P.University Chapra under Section 341, 342, 323, 504, 506 & 34 I.P.C.	Pending
5.	Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 2015 dated 31.12.2015 lodged by Prof. Uma Shankar Yadav, Proctor, J.P.University Chapra under Section 420/409/120 (B) & , 34 I.P.C.	Pending
6.	Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347 / 2015 dated 31.12.2015 lodged by Raj Kishore Prasad Singh, Finance Officer, J.P.University Chapra U/s 420/409 & 34 I.P.C.	Pending

The petitioner has been advised to bring on record the true copies of the Vigilance P.S. Case No. 10/2015 dated 30.01.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 261 / 15 dated 16.10.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 15 dated 31.12.2015 & Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347 / 15 dated 31.12.2015 contents whereof are self - explanatory. The petitioner, however craves the leave of this Hon'ble Court to produce the copies of the said Complaint Case No. 1239 / 2013 and Complaint Case No. 2736 / 2013 at the time of argument of this case, if required / directed by this Hon'ble Court.

True copies of the Vigilance P.S. Case No. 10/2015 dt 30.01.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 261 / 15 dt 16.10.2015; Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 346 / 15 dt 31.12.2015 & Saran Sadar Mufassil P.S. Case No. 347/15 dated 31.12.2015 are annexed as **Annexure – 5, 6, 7 & 8** to this writ petition.

6. That in view of the facts narrated herein above it becomes crystal clear that the action of the Respondent No. 1 in appointing the Respondent No. 5 on the post of J.P. University, Chapra is wholly unsustainable, for the reason that against the Respondent No. 5 several criminal cases have been lodged.

7. That it is stated and asserted here that the said Vigilance P.S. Case No. 10/2015 dated 30.01.2015 has been lodged in connection with the large scale financial irregularities committed by the authorities concerned of the Respondent University including the Respondent No. 5.

8. That it is stated and asserted here that in connection with the said Vigilance P.S. Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. - 21 / 2014 - 1294 dated 04.09.2015, which was addressed to the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna, granted sanction for prosecution against the then Vice Chancellor of J.P. University, Chapra namely Professor Dwijendra Gupta, under section 19 of Prevention of Corruption act'1988 and Section 197 of the Code of Criminal Procedure..

A true copy of Ref. No. J.P.U. - 21 / 2014 - 1294 dated 04.09.2015 is annexed herewith and marked as **Annexure - 9** to this writ petition.

9. That it is stated and asserted here that in connection with the said Vigilance P.S. Case No. 10/2015 dated 30.01.2015, the Respondent No. 2, under the order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by way of issuing Ref. No. J.P.U. - 27 / 2015 - 1309 dated 10.09.2015, addressed to the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna, had granted sanction for prosecution against the Respondent No. 5, under section 19 of Prevention of Corruption act'1988 and Section 197 of the Code of Criminal Procedure.

A true copy of Ref. No. J.P.U. – 27 / 2015 – 1309 dated 10.09.2015 is annexed herewith and marked as **Annexure – 10** to this writ petition.

10. That it is stated and asserted here that the consequent upon grant of sanction of prosecution by the Hon'ble Chancellor of Universities vide Annexure - 9 & 10 to this writ petition, the Superintendent of Police, Vigilance Investigation Bureau, Bihar, Patna filed Charge Sheet against the persons accused including the then Vice Chancellor of the Respondent University as well as the Respondent No. 5 on 12/13.10.2015 in the said Vigilance P.S.Case No. 10/2015 dated 30.01.2015.

A true copy of the Charge Sheet dated 12/13.10.2015 in Vigilance P.S.Case No. 10/2015 is annexed herewith as **Annexure - 11** to this writ petition.

10
11. That it is stated and asserted here that based upon the said charge of gross / serious charge of financial irregularity as contained in Annexure – 5 & 11 of this writ petition, the Respondent No. 1 passed an order on 02.12.2015, under Section 11 (2) of the Bihar State Universities Act'1976, whereby the said Prof. Dwijendra K Gupta has been removed from the post of Vice Chancellor of the J.P.University, Chapra. It is pertinent to mention here that the copy of the said order dated 02.12.2015 passed by the Respondent No. 1 had been communicated by the Respondent No. 2 to the

parties concerned vide Memo No. JPU – 21 / 2014 – 1628 / GS(I) dated 02.12.2015.

A true copy of Memo No. JPU – 21 / 2014-1628 / GS(I) dated 02.12.2015 along with order dated 02.12.2015 of the Hon'ble Chancellor are annexed herewith as **Annexure -12 & 12/1** to this writ petition.

12. That it is stated and asserted here that the Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar (the Respondent No. 1), ordered for reverting back the services of the Respondent No. 5 to his parent College i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj with immediate effect. The said order of the Hon'ble Chancellor of Universities came to be communicated by the Additional Secretary, Governor's Secretariat, Bihar to the Vice Chancellor of the Respondent University vide Memo No. JPU – 27/ 2014 – 1595 / GS (I) dated 26.11.2014, whereby the Vice Chancellor of the Respondent University had been directed to comply with the said order of the Hon'ble Chancellor of the Universities in Bihar immediately. It is further stated here that the copy of the said order had also been sent to the Respondent No. 5 for information and necessary action into the matter.

A true copy of Memo No. JPU – 27/ 2014 -1595 / GS (I) dated 26.11.2014 is annexed herewith as **Annexure -13** to this writ petition.

13. That it is sated and asserted here that in compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of Universities, the then Vice Chancellor of the Respondent University on the one hand by way of issuing Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 relieved the Respondent No. 5 to join R.B.G.R.College, Maharajganj, and on the other hand issued yet another order deputing the Respondent No. 5 again in the University. This fact in itself shows that the order of the Hon'ble Chancellor of Universities were being flouted by the then Vice Chancellor of the University in hand as well as by the Respondent No. 5. It is further stated here that the Hon'ble Chancellor of Universities having learnt as to the said action of the then Vice Chancellor of the University in deputing the Respondent No. 5 in University again, asked for a show cause from the then Vice Chancellor of the University vide Letter No. 1660 dated 24.12.2014 of the Additional Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna.

True copies of Letter No. 5996 (R) dated 27.11.2014 and Letter No. 1660 dated 24.12.2014 are annexed herewith as **Annexure - 14 & 15** to this writ petition.

12
14. That it is stated and asserted here that under the order of Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU - 27 / 2015 - 1607 सं० सं० (1) dated 24.11.2015, the Respondent University by way of issuing **Letter No. VC 539 dated 09.12.2015** removed the Respondent No. 5 from the post of Registrar / CCDC / PRO of the Respondent University with immediate

effect, with a further direction to the Respondent No. 5 to join his parent organization i.e. R.B.G.R.College, Maharajganj, Siwan.

A true copy of Letter No. VC 539 dated 09.12.2015 is annexed herewith as Annexure -16 to this writ petition.

15. That it is stated and asserted here that based upon the said charge of gross/serious charge of financial irregularity as contained in Annexure -5 &11 of this writ petition and on the basis of the order passed by the Hon'ble Chancellor's Secretariat as contained in Letter No. JPU – 27 / 2015 – 1607 /GS(I) dated 24.11.2015, the Respondent No. 5 was placed under suspension with immediate effect and to the said effect an Office Order was issued by the Registrar of the Respondent University vide Memo No. 7255/R dated 19.12.2015. It is further stated here that vide Memo No. 7254/R dated 19.12.2015 seven other officers of the Respondent University were also placed under suspension, who had been facing the said charge of financial corruption in the Respondent University.

It is further stated here that the Respondent No. 5 had assailed the order of his suspension dated 19.12.2015 before the Hon'ble Chancellor of University in a duly constituted Appeal being File No. JPU – 27 /2014.

It will not be out of place to mention here that said seven officers had also preferred appeal separately before the Hon'ble Chancellor of Universities against the order of their suspension dated 19.12.2015.

13

The Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna by a common order dated 28.07.2016 disposed of the said appeals preferred by the Respondent No. 5 and seven other officers of the J.P.University, Chapra, which came to be communicated by the O.S.D. (Judicial) vide Letter No. JPU (Appeal) -13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 to the parties concerned.

True copies of Letter No. JPU (Appeal) – 13 / 2016 - 1416 / GS(I) dated 28.07.2016 and Memo No. 7254 / R dated 19.12.2015 are annexed as **Annexure - 17 & 18** to this writ petition.

16. That it is stated and asserted here that the Hon'ble Chancellor of Universoties, Raj Bhawan, Patna in his said order dated 28.07.2016 has observed in an unambiguous terms that :-

"The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceeding against the appellants and the committee was of the opinion tha, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated /selection / appointed to any statutory body / committee of the University till the pendency of the case in the High Court. Also they may be transferred to other colleges /

14

departments as punitive major after revocation of their suspension."

The University further submitted that an F.I.R. was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files."

17. That it is stated and asserted here that in compliance of the said order of the Hon'ble Chancellor of Universities, Raj Bhawan, Patna dated 28.07.2016, the then Registrar of the Respondent University vide Letter No. 7912 – Est I (R) dated 30.07.2016 revoked the order of suspension of the said eight persons including the Respondent No. 5 from the date of their suspension. By the said order dated 30.07.2016, the Respondent J.P. University, Chapra has passed further following order in relation to the said eight teachers of the Respondent University including the Respondent No. 5 :-

"Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect, until further order to the college where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above."

A true copy of Letter No. 7912 – Est I (R) dated 30.07.2016 is annexed here as Annexure – 19 to this writ petition.

15

18. That it is stated and asserted here that the facts narrated herein above make it crystal clear that the finding recorded by the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, is holding its field and the same has not been altered / modified by any competent authority / forum / court. Thus in the given facts of the case and in view of the recommendation of the committee constituted by the Respondent University for holding departmental enquiry against the said eight (8) teachers of the Respondent University, the Respondent No. 5 could have not been appointed as the Registrar of the Respondent University.

19. That it is further submitted here that in addition to the said facts, one more important fact is there against the Respondent No. 5 that he is involved in several (7) criminal cases (detailed in paragraph no. 5 of this writ petition) as such, the appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University by the Respondent No. 1 is wholly illegal / arbitrary / malafide / malicious and unsustainable in the eye of law and on facts both and on this score also the order impugned dated 19.05.2021 (Annexure - 1) is fit to be set aside by this Hon'ble Court.

16
20. That in addition to the said two fold irreparable illegality / irregularity in the matter of appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University by the Respondent No. 1, one more glaring / irreparable illegality is there in the matter of appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University. As per the prevailing norms appointment on the post of Registrar in a University can be made on the basis of the recommendation of the duly constituted search committee,

but the Respondent No. 5 has been appointed by the Respondent No. 1 without there being any recommendation of the duly constituted search Committee, as such the appointment of the Respondent no. 5 as the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is wholly without jurisdiction, as such is fit to be set aside by this Hon'ble Court.

21. That if the said illegal and unauthorised appointment of the Respondent No. 5 as the Registrar of the Respondent University is allowed to continue, the same will cause many fold problems in the smooth functioning of the Respondent University and on account of the same the evidences relating to the pending criminal cases lying in the Respondent University may adversely be tampered with by the Respondent No. 5.

22. That it is stated and asserted here that the petitioner for getting his said grievances settled has approached the Respondent No. 1 vide Annexure - 3 & 4 to this writ petition, but the Respondent No. 1, for the reasons best known has preferred to sit tight over the matter. It is further submitted here that the copies of Annexure - 3 and 4 have also been sent to other authorities concerned including the Additional Chief Secretary, Department of Education, Bihar, Patna, but of no avail, hence the petitioner has been left over with no other option but to move before this Hon'ble Court for the redressal of his grievances so raised in paragraph no. 1 of this writ petition.

23. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court on any earlier occasion for the relief prayed for in paragraph no. 1 of this writ petition.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue Rule NISI, calling upon the respondents to show cause, as to why the relief(s) prayed for in this writ petition be not allowed and on return of the rule, cause being shown, if any, and after hearing the parties, be further pleased to make the rule absolute in the said terms.

AND / OR

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

And

During pendency of this writ application, thus Hon'ble Court may graciously be pleased to stay the operation of the orders impugned as contained in Memo no BSU (Registrar) – 27 / 2017 – 698 / GS (I) dated 19.05.2021 (Annexure-1) and its consequential action / order as contained in Letter No.4570 – Est - I dated 19.05.2021 (Annexure - 2 to this writ petition).

And for this the petitioner shall ever pray.

18



Affidavit

I, Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex – Male, S/o Jitendra Singh, R/o Village – Jagdishpur, P.O.+P.S. – Maharajganj, Distt – Siwan, PIN - 841238, do hereby solemnly affirm and states as follows:-

1. That I am the sole petitioner in this case, as such, I am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That I have gone through the contents of this writ application and have fully understood the same.
3. That the statements made in paragraph nos. 3, 4, 6, 7, 16, 18 to 20, 22 & 23 of this application are true to the best of my knowledge and those stated in paragraphs nos. 5, 8, 9 to 15 and 17 of this petition are true to my information derived from the records of this case and rest are by way of humble submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexure are true photo/ type copies of its respective originals.

19


60523

रजान कुमार
06.07.24

I solemnly affirmed before me by
 who is identified by R. Kumar
 I have satisfied myself by examining S.K. Bahaley
 the deponent that he understands etc
 the contents of the affidavit which has
 been read-over & explained to him
 which acknowledges to be correct
 Date 06/07/24
 Advocate Oath Commissioner
 PATNA

S. idonnty the deponent
Rajan Kumar Bahaley
for Petitioner
Adv. R. K. Bahaley
Date - 6/07/24

20



राजन कुमार

/
20


GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800 022

NOTIFICATION

Dated- 19.05.2021

No. BSU(Registrar) 27/2017- 698 /GS(I) Consequent upon completion of period of more than three years of Col. Shyama Nand Jha initially appointed vide this Secretariat letter no. BSU- 27/2017- 961/GS (I) dated- 02.04.2018 as Registrar, Veer Kunwar Singh University, Ara and currently working as Registrar, Jai Prakash University, Chapra the Hon'ble Chancellor, after due consideration in academic and administrative interest of the University has been pleased to order to appoint Dr. Ravi Prakash "Babloo" Associate Professor, Dept. of Philosophy, H. R. College Mairwa, Jai Prakash University, Chapra to perform the duties of the Registrar, Jai Prakash University, Chapra in place of Col. Shyama Nand Jha with immediate effect until further orders.

Further necessary action may please be taken accordingly.

By the order of the Hon'ble Chancellor,

Sd/-


(Raj Kumar Sinha, IAS)

Joint Secretary

Memo No.- BSU(Registrar)-27/2017- 698 /GS(I), Dated - 19.05.2021

Copy forwarded to:

1. Dr. Ravi Prakash "Babloo" Associate Professor, Dept. of Philosophy, H. R. College Mairwa, Jai Prakash University, Chapra for information and necessary action.
2. Col. Shyama Nand Jha for information and necessary action.
3. The Vice-Chancellor, Jai Prakash University, Chapra / Principal, H. R. College Mairwa for information and necessary action.
4. PS to Governor/ PS to Secretary, Governor's Secretariat, Bihar/ PRO/PSG/ /Guard File, Raj Bhawan, Patna for information.


(Raj Kumar Sinha, IAS)
Joint Secretary

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार ; भारत,

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)



Letter No. 4570-Est-I

Dated: 19/05/2021

कार्यालय आदेश

महामहिन राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना के ज्ञापांक-BSU(Registrar)-27/2017-698/GS (1), दिनांक-19.05.2021 के आलोक में डॉ० रवि प्रकाश "बबलू" एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच०आर० कॉलेज, मैरवा, सिवान के द्वारा जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में कुलसचिव के पद पर दिनांक 19.05.2021 के अपराहन में अपना योगदान कर लिया है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से

[Signature]

कुलसचिव

ज्ञापांक- 4570-Est-I दिनांक 19/05/2021

प्रतिलिपि:-

1. डॉ० रवि प्रकाश "बबलू" एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, एच०आर० कॉलेज, मैरवा, सिवान।
2. कर्नल श्यामा नन्द झा, निवृत्तमान कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन बिहार, पटना।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
9. सभी प्रचार्य/प्रभारी प्रचार्य, अंगीभूत महाविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
10. शाखा प्रबंधक, सभी खाताधारी बैंक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
11. सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
12. माननीय कुलपति/प्रति-कुलपति/वित्त परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
19.05.2021
कुलसचिव

[Signature]

* ANN-3 *

23

(b) 13012666940 (Clear Paski, Star Safe)



825547974D 20210527055479706
DL DISTRICT BOARD OF (841301)
Counter No:1,08/06 2021,11,29
Toll:477898, 247898
PIN:500022, No:2 Bhuban 33
From:BJM 8255479706
Wt:10gm
Int:52.00(Cash)
Track on www.indiaongt.gov.in

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति,
राजभवन, पटना।

विषय :-

राजभवन के आदेश के विलीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जशीट डायर रविप्रकाश बबलू को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलसचिव पद से अविलंब हटाने के संबंध में।

महामहिम,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि राजभवन के पत्रांक BSU (Registrar) - 27/2017-698/GS(I) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डायर रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मीरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलसचिव नियुक्त किया गया (Encl-01) और डायर रविप्रकाश बबलू ने उक्त आदेश के आलोक में 19.05.2021 को ही कुलसचिव के पद पर योगदान भी कर लिया (Encl-02)। विदित हो कि डायर रविप्रकाश बबलू जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में करीब २००० की उत्तर पुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं- 10/2015 दिनांक 30.01.2015 द्वारा धारा-409,420,467,468,477(A), 34,120(B) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के धारा 13(1) D तथा 13(2) तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमे के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस घटित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द (वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने अपने पत्रांक जे०पी०यू० 27/2015-1309 रा०स०(I) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस कांड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डायर रविप्रकाश बबलू जो उस समय विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया (Encl-03)

राजभवन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक 12.10.2015 को अन्य अभियुक्तों के साथ डायर रविप्रकाश बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र सं० (चार्जशीट) 64/15 समर्पित किया (Encl-04)। वर्तमान समय में डायर बबलू जमानत पर है और मुकदमा जारी है।

विदित हो कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के उक्त मामले में डा० आर०पी० बबलू के साथ तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजभवन से उनके विलुद्ध अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया (Encl-05-06)। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक JPU-21/2014-1628/GS(I) दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (Encl-07)। मामले की गंभीरता इस बात से परिलक्षित होती है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों-पदाधिकारियों को बिहार राज्य वि०वि० अधिनियम-1976 की धारा 69(4) के तहत राजभवन के आदेश पर निलंबित कर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी क्रम में डा० रविप्रकाश बबलू को निलंबित कर आ०बी०जी०आर० कॉलेज, महाराजगंज से हरिराम महाविद्यालय, गैरवा, सिवान स्थानांतरित कर दिया गया और तबसे डा० बबलू वहीं पदस्थापित हैं (Encl-08-09)।

विदित हो कि डा० बबलू कई आपराधिक मामलों के आरोपी रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त पूर्व कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र हाने की वजह से डा० बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजभवन के आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासनहीनता की वजह से महामहिम ने डा० रविप्रकाश बबलू का स्थानांतरण दर्शन शास्त्र विभाग, जयप्रकाश वि०वि०, छपरा से पैतृक महाविद्यालय आर०बी०जी०आर० कॉलेज, महाराजगंज कर दिया था (Encl-10)। इनके क्रिया कलापों से नराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुल सचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था (Encl-11)।

डा० रविप्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.- 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन जयप्रकाश वि०वि० प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता संबंधी ब्यौरा जवाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (Encl-12)।

इस तरह राजभवन की अनुमति एवं निर्देशों पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को पुनः राजभवन द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी विस्मित, हतप्रभ एवं मर्माहत है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में राजभवन की नीति एवं रवैया जीरो टालरेंस की रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष

डा० रविप्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों से संबंधित संचिका को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अवैध एवं अनुचित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय से उच्च शिक्षा की शुचिता एवं गरिमा को तो घोट पहुँची ही राजभवन की छवि भी धुमिल हुई है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में महामहिम से निवेदन है कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को कुलसचिव नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना को अविलंब निरस्त किया जाए।

महामहिम की निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता पर हमारा विश्वास एवं भरोसा कायम है।

भवदीय

राजन कुमार

(राजन कुमार)

पिता—जितेंद्र सिंह

ग्राम—जगदीशपुर

पोस्ट+थाना—महाराजगंज

जिला—सिवान

पिन—841238

प्रतिलिप—

- (1.) महामहिम राष्ट्रपति के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
- (2.) अवर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।

राजन कुमार

* ANN - 4 *

INTEGRATED AIR MAIL SERVICE
R. 111/1117 2000 50 (941881)
Kunder No.: 05-07/2021, 13411
Kullu/Prdgl, PADM
PIN: 200001, Patna-80
From: (AIR) 01/06, 2021/03/01/01
Via: 2000
Net: 72.00/Cash
<Track on www.intlairport.gov.in>
Call: 18002469689 <Dear Marks, Stay Safe>



26

सेवा में,
महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति,
राजभवन, पटना

विषय : भ्रष्टाचार के मामले में चार्जसीटेड डॉ. रवि प्रकाश बबलू को जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के कुलसचिव पद से अवलिंब बर्खास्त करने के संबंध में स्मार-पत्र।

महामहिम,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि राजभवन के पत्रांक BSU (Registrar)- 27/ 2017-698/ GS (I) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डॉ. रविप्रकाश बबलू, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कुलसचिव नियुक्त किया गया (अनु0-1) और डॉ. बबलू ने उक्त आदेश के आलोक में दिनांक 19.05.2021 को ही कुलसचिव पद पर योगदान भी कर लिया (अनु0-2)। विदित हो कि डॉ. रवि प्रकाश 'बबलू' जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में बहुचर्चित करोड़ों रूपी की उत्तरपुरस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं0- 10/2015 दिनांक 31.01.2015 द्वारा धारा 409, 420, 467, 468, 477 (ए), 34, 120 (बी) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के धारा 13 (1) डी तथा 13 (2) के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमे के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविंद (सम्प्रति भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा ने अपने पत्रांक जे.पी.यू. 27/2015-1309 रा0 स0 (1) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस कांड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डॉ. रवि प्रकाश बबलू जो उस समय विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया (अनु0-3)।

राजभवन से अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक 12.10.2015 को डॉ. रवि प्रकाश बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जसीट) सं0 64/2015 समर्पित किया (अनु0-4)। भ्रष्टाचार के इस मुकदमे में डॉ. बबलू सम्प्रति जमानत पर हैं और मुकदमा निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में लंबित है।

विदित हो कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के उक्त मामले में डॉ. आर.पी. बबलू के साथ तत्कालीन कुलपति प्रो. द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी

अन्वेषण ब्यूरो ने राजभवन से उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में आरोप पत्र दायर किया (अनु० - 05-06)। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक JPU-21/2014-1628/ GS (I) दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (अनु०-07)। मामले की गंभीरता इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों-पदाधिकारियों को बिहार राज्य वि० वि० अधिनियम 1976 की धारा 69 (4) के तहत राजभवन ने डॉ. आर.पी. बबलू सहित अन्य आरोपियों को निलंबित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु एक समिति गठित किया जिसने अपने प्रतिवेदन में राजभवन से अनुशंसा किया कि आरोपी शिक्षकों को इस शर्त के साथ निलंबन मुक्त किया जा सकता है कि दंड के तौर पर इनका स्थानान्तरण कर भविष्य में इन्हें कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जाए और न ही किसी वैधानिक कमिटी वगैरह में नामित किया जाए। जिसे राजभवन ने अपने न्यायिक आदेश संख्या JPU (Appeal)-13/2016-1416 GS (I) दिनांक 28.07.2016 में स्वीकार करते हुए इन्हें निलंबनमुक्त करने का आदेश दिया (अनु० 08)। राजभवन के न्यायिक आदेश का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30.07.2016 को डॉ. आर.पी. बबलू को निलंबनमुक्त कर दंड स्वरूप आर.वी.जी.आर कॉलेज, महाराजगंज से हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान स्थानान्तरित कर दिया और तबसे डॉ. बबलू वहीं पदस्थापित है (अनु०-9)। विदित हो कि डॉ. बबलू कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त तत्कालीन कुलपति प्रो. द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र राजदार होने की वजह से डॉ. बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गयी थी कि वे राजभवन के आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासहीनता की वजह से महामहिम ने डॉ. रवि प्रकाश बबलू का स्थानान्तरण दर्शन शास्त्र विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से आर.बी.जी.आर. कॉलेज, महाराजगंज, सिवान कर दिया था (अनु०-10)। इनके क्रियाकलापों से नाराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुलसचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था (अनु०-11)। चार्जसीटेड होने के बाद जब इन्हें कुलसचिव पद से हटाया गया तो घोटाले से संबंधित सचिकाओं को भी ले भागे। इस कुकृत्य के लिए तत्कालीन कुलानुशासक ने इनके विरुद्ध सचिका गायब करने संबंधी आपराधिक मुकदमा भी दायर किया (अनु-12)।

डॉ० रवि प्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में स.डब्लू.जे.सी 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासहीनता संबंधी ब्यौरा जबाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण दाखिल किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (अनु०-13)

इस तरह राजभवन की अनुमति एवं आदेश पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं आरोपित तथा भविष्य में कोई भी प्रशासनिक दायित्व नहीं देने के निर्देश के बावजूद डॉ० रवि प्रकाश बबलू को राजभवन द्वारा पुनः कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी आश्चर्यचकित एवं मर्माहत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डॉ० रवि प्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार, अनुशासहीनता एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सचिका को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अनुचित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय से उच्च शिक्षा की शुद्धता एवं गरिमा को तो आघात पहुँचा ही, राजभवन की छवि भी धूमिल हो रही है।

विदित हो कि इस संबंध में कार्रवाई हेतु दिनांक 08.06.2021 को मैंने डाक से आरोप संबंधी तमाम साक्ष्यों को अनुलग्नक के रूप में आवेदन के साथ महामहिम को संप्रेषित किया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (अनु० - 14)

अतः एक बार पुनः महामहिम से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भ्रष्टाचार के मामले में चार्जसीटेड तथा आपराधिक छवि के व्यक्ति डॉ० रवि प्रकाश बबलू को अविलंब कुलसचिव पद से हटाया जाए तथा तथ्यों को छिपाने वाले राजभवन के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए।

भवदीय

राजेश कुमार
गणना

(राजेश कुमार)

पता:- निम्नें स्ट्रीट

डाक - मधुबनीपुर

पारसनाथ - मधुबनी

पिन :- 841238

पिन :- 841238

प्रतिलिपि :

1. महामहिम राष्ट्रपति के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पटना
4. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित।

9235677913 100020094794
DL DISTRICT BOARD SO 0413015
Counter No:1, 05/07/2021, 1310
INSPAN MUMBA 0400V 0674
FUD00001, Paine BR
From: 0430 SUPER, MUMBAI
91120pm
del:72.000005
Track at www.1010001.com/00

भारतीय डाक



9235677913

Counter No

del:72.000

From: 0430

From: 0430

From: 0430

*** ANN-5 ***

29

(1)

मानवीय विरोध न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर ।

फॉर्म नं० 47, प्रपत्र सं०--118

अ० इ० प्रपत्र सं०--28 (नियम-143)

SP- B/IS
प्राथमिकी (F.I.R.)

Seey

संख्या

926709

अ. नं० (दि० प्र० सं० को धारा 154 को अधीन)

9150/2015 FIR -1-9

F.I.R. सं० 010/2015

1. *जिला पटना *अनुमंडल *थाना निगरानी *वर्ष 2015 *प्राथमिकी सं० *दिनांक
(Dist.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)

2. (I) *अधिनियम (Act) *धाराएं (Sections) 409/420/467/468/471/477(ए)/

(II) *अधिनियम (Act) *धाराएं (Sections) 34/120(बी) 13(2) सह पब्लि एक्टरा 13(1)(डी)

(III) *अधिनियम (Act) *धाराएं (Sections)

(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts and Sections)

3. (क) *अपराध की घटना *दिनांक *तिथि से *तिथि तक
(Occurrence of offence) (Day) (Date from) (Date to)

वसमयावधि (पार) *बजे से *बजे तक
(Time period) (Time from) (Time to)

(ख) शान्त में प्रारंभ *दिनांक 30-01-2015 समय 17.30 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने का तिथि 30-01-2015 समय 17.30 बजे

(घ) शान्त होने की संदर्भ— प्रविष्टि सं० 338/30-01-2015 समय 17.30 बजे ।

4. सूचना का प्रकार (Type of information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral) लिखित ।

5. घटना स्थल— (क) शान्त से दिशा एवं दूरी *गलत सं०

(ख) *पता (Address) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, उपरा, जिना-सारण ।

(ग) शान्त की सीमा से घटना होने की दशा में शान्त का नाम *जिला

6. परिवार/सूचना दाता :

(क) नाम... श्री. राम कृष्ण पोद्दार

(ख) पिता/पति का नाम... श्री. राम कृष्ण पोद्दार

(ग) जन्म-तिथि... 05-01-1953 (घ) राष्ट्रियता... भारतीय

(ङ) पारंपरिक सं०... निर्गम तिथि... निर्गम स्थान...

(च) पता... पुलिस थाना, जिना

(छ) पता... निगरानी प्रकोष्ठ, ब्यूरो, पटना ।

/

संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

1- प्र० दिनेन्द्र गुप्ता कुलपति, जय प्रकारा विश्वविद्यालय, षण्डा एवं अन्तः 6/घ: अभियुक्त की सुवी साधा संलग्न है।

संदिग्ध व्यक्ति को सार्वजनिक फोटो/चित्र, विकृता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) (Date/Month/Year)	*शारीरिक मंडन (Build)	*ऊंचाई से० मी० में (Height) (in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विकृता/विचलन (Deformities/peculiarities)	*दांत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*जादें (Habits)	पहनवा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/Dialect)	स्थान				
	*जले या निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुह (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*खरम चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

यदि परिवार/रहित संदिग्ध/चोड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायें दी जाएं तभी इन स्तंभों में प्रविष्टि की जाएगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायताार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।
 इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, में जोड़ेगा।
 जब कोई अभियुक्त विपत्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्युत्पन्न और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएंगे।

8

Seen

(3)

W
 ACS Judge
 31-1-15

निगरानी थाना कांड सं०- 10/2015, दिनांक- 30.01.15 के प्राथमिकी के कॉलम 07-
 ज्ञात/ संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों के शेष विवरणी।

- ए-2. श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वित्तीय परामर्शी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
 ए-3. श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
 ए-4. प्रो० सरोज कुमार वर्मा, राजनीति शास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विक्रय समिति के सदस्य।
 ए-5. डा० अजीत कुमार तियारी, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विक्रय समिति के सदस्य।
 ए-6. डा० अनिता, हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विक्रय समिति के सदस्य।
 ए-7. निदेशक, चन्द्रकला युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 118 बी. wing, Ansa Industrial Estate, Andheri East, Mumbai- 400072 एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगी गण।

30/1/15
 (अश्विनी कुमार)

पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष,
 निगरानी थाना, बिहार,
 6, सर्कुलर रोड, पटना।

(3)

9108018/00
13.1.15

प्रश्न सं. 10

पिनकोड/सूचना दाता द्वारा सूचना देने से हुए किलोब पात्र कारण :

पुर्वाई गई/अनंतप्रस्त/परामद सम्पत्तियों के खो (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगावें)

*पुर्वाई गयी/अनंतप्रस्त/परामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)

*सम्भावित मूल्य बॉट सं०, यदि हो तो (U. D. CaseNo., if any)

प्रधानमंत्री को अनंतवंतु (अलग से पन्ना लगावें, यदि आवश्यक हो) श्री आर० के० पौद्दार, पुलिस उपाधीक्षक-सह-बांधे पदाधिकारी, भिगरानी अन्वेषण द्यूरी, पटना का बांधे प्रतिवेदन अनुलग्नकों सहित साधा संभव है जो इस डॉक का मुख्य आधार है।

8

श्री आर० के० पौद्दार

निर्देश

(4)

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

13. की गयी कार्रवाई : चूंकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया। श्री विनीत कुमार मिश्र पुलिस अधीक्षक का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/आधिकारिता के प्रश्न पर निगरानी अन्वेषण स्थरी, मुजफ्फरपुर थाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवार/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने इसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और तबसे एक प्रति परिवार/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2, registered the case and took up the investigation/directed* Rank..... to take up the investigation.)

14. परिवार/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान। 30/1/15

15. थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय—

30/1/15
 थाना प्रभारी का हस्ताक्षर
अश्विनी कुमार
 नाम (Name)..... पुलिस अधीक्षक-सह-धाना, मुजफ्फरपुर,
निगरानी थाना, 6-सुपर रोड, पटना ।
 पदनाम (Designation).....

Seen

(5)

W.S.
 J.C. Saini Judge
 31.1.15

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक-सह-धानाध्यक्ष
 निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
 बिहार, पटना।

विषय :-

प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सूचित करना है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को श्री विश्वजीत कुमार चंदेल, पिता श्री निरसु नारायण सिंह, ज्ञान- गंगौली, धाना- मशरक, जिला- छपरा का परिवार दिनांक- 28.08.14 एवं शपथ-पत्र दिनांक- 23.09.14 प्राप्त हुआ जिसमें आरोप लगाया गया है कि

वर्तमान कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के पदभार ग्रहण करने के पश्चात बिना निविदा, बिना दर तय किये हुए लगभग 02 करोड़ की सादी उत्तर पुस्तिका का कय किया गया। जिसके कमीशन के रूप में लगभग 60 से 70 लाख रुपया लिया गया है। वित्तीय प्रावधानों तथा बिहार सरकार निविदा नियमावली का उल्लंघन करते हुए यह कार्य आदेश एक इलाहाबाद के नये प्रतिष्ठान चन्द्र कला युनिभर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) को दे दिया गया।

चन्द्र कला युनिभर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) एक नया प्रतिष्ठान जिसका पंजीयन 13 दिसम्बर 2013 को ही हुआ है। इस फार्म के सादी उत्तरपुस्तिका छपने या प्रश्न-पत्र छपने इत्यादि का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक नये फार्म को बिना निविदा निकाले, बिना दर तय किये हुए, 50 लाख का अग्रिम भुगतान कर दिया गया तथा उक्त फार्म द्वारा दिये गये सारे शर्तों को मानकर अंतिम भुगतान भी कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि चन्द्र कला युनिभर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कुलपति एवं वित्तीय पारदर्शी द्वारा यह कुकृत्य किया गया है। विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि उक्त फार्म कुलपति के किसी संबंधी का है।

निविदा नियमावली के मुताबिक 01 लाख से उपर का कय करने हेतु समाचार-पत्र में विज्ञापन की आवश्यकता होती है। लेकिन जय प्रकाश वि०वि० के वर्तमान कुलपति द्वारा करोड़ों रुपये का भुगतान बिना विहित प्रक्रिया अपनाये कर दिया गया।

यही नहीं उक्त फार्म को गोपनीय छपाई के नाम पर भी लाखों रुपया का गलत भुगतान कर दिया गया।

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कनीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी के प्रति कुल टिप्पणी के बावजूद भी ये सारे भुगतान किये गये हैं। यही नहीं प्रवेश-पत्र की छपाई ओ०एम०आर० सीट का कय भी बिना निविदा निकाले लिया जा रहा है। इसमें 50 लाख का भुगतान होना है।

W.S.

9/10/14
31-1-5

सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि समस्त अग्रिम भुगतान प्रक्रिया प्रस्ताव से लेकर चेक निर्गत करने तक संधिका के अनुसार सिर्फ एक ही दिन 13.05.2014 को सम्पादित किया गया, यह भी एक विचारणीय है कि आपूर्तिकर्ता एवं जे0पी0 वि0वि0 के अधिकारियों को समस्त प्रक्रिया सिर्फ एक दिनांक- 13.05.2014 को करने में कौन सी बाध्यता थी।

इसके अतिरिक्त उसी प्रतिष्ठान को पुनः 12.06.2014 को चेक सं0-004397/004395, 004396, 12.06.2014 द्वारा 50 लाख अग्रिम सामंजस करते हुए 41 लाख 25 हजार 996 रुपया का भुगतान कुलपति को मौखिक आदेश से गलत तरीके से कर दिया गया। जबकि उक्त कार्य हेतु कोई भी कार्य आदेश या दर निर्धारण पहले नहीं किया गया था। उक्त संबंध में ही कर्नीय पदाधिकारी के द्वारा प्रतिफल टिप्पणी की गयी है।

सादी उत्तर पुस्तिका, प्रवेश-पत्र की छपाई, पंजीयन प्रपत्र, ओ0एम0आर0 सीट, गोपनीय छपाई में नहीं आता है। जहाँ तक पूर्व निर्धारित दर का सवाल है तो जे0पी0वि0वि0 के पूर्व कुलपति प्रो0 रामविनोद सिन्हा एवं डा0 विमल कुमार के कार्यकाल में कय-विकय समिति की बैठक दिनांक- 12.03.2012 एवं 02.03.2013 के द्वारा सादी उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति का आदेश पूर्व निर्धारित दर पर जो विहित प्रक्रिया पालन करते हुए किया गया था। 40 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिका निर्धारित शर्तों के साथ 10 रुपया 50 पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका के दर से बिना किसी बुलाई एवं पैकेजिंग चार्ज दिये आपूर्ति करने का निर्णय किया गया था और इसी दर पर उस वक्त के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया। परन्तु इस बार 40 पृष्ठों के जगह 32 पृष्ठों का उत्तर पुस्तिका बिना दर तय किये हुए मबमाने टंग से 12 रुपया 50 पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका दर निर्धारित किया गया। इस तरह चन्द्र कला युनिर्सल प्राइवेट लिमिटेड का फायदा पहुँचाने के लिए दर में जहाँ 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी वही उत्तर पुस्तिका के आपूर्ति में 40 पृष्ठों का आदेश देकर 25 प्रतिशत सामान में कटौती की गयी। यह घोटाला लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा पर पहुँचता है जो अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय अनियमितता है।

वि0वि0 अधिनियम के मुताबिक कय-विकय समिति के गठन में सिंडिकेट द्वारा नामित तीन सदस्य होते हैं तथा इस समिति के अध्यक्ष कुलपति होते हैं। लेकिन इस वित्तीय अनियमितता को छुपाने के लिए बिना सिंडिकेट की बैठक बुलाये कय-विकय समिति का गठन कर लिया गया तथा 31.05.2014 को एक बैठक बुलाकर दर निर्धारण के संबंध में लिपापोती करने का प्रयास किया गया। एक नामित सदस्य को वि0वि0 में पद देकर सुशोभित किया गया।

वर्तमान कुलपति इलाहाबाद के रहने वाले हैं तथा चन्द्रकला युनिर्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इलाहाबाद की कंपनी है जिसका पंजीकरण कुलपति के नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कराया गया है। यह जाँच का विषय है कि कुलपति एवं चन्द्र कला युनिर्सल प्राइवेट लिमिटेड के बीच क्या संबंध है। विशेष सूत्रों से यह पता चला है कि उक्त फार्म से ही सारे कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) परिवाद पत्र में लगाये गये उपरोक्त आरोपों की जाँच हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अघोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में एक जाँचदल का गठन किया गया। जाँचदल द्वारा अभिलेखीय

WJ (7)
G. S. P. M. S.
31.11.15

साक्ष्य के आधार पर जाँच की गयी और जो तथ्य प्रकाश में आये हैं तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन दिनांक-27.01.15 को समर्पित किया गया है जो इस प्राथमिकी का आधार है तथा साथ संलग्न हैं।

(3) जाँच से यह पाया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का कथ करने के लिए आरोपी लोकसेवकों द्वारा वित्तीय नियमों एवं विश्वविद्यालयों अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया। इन्होंने मसमाने ढंग से सभी नियमों को ताक पर रखते हुए मौखिक तौर पर चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा० लि०, इलाहाबाद को कयादेश दे दिया एवं इसके लिए अग्रिम के रूप में दो किस्तों में कुल 50 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया। इन उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्व निर्धारित दर प्रति कॉपी 10.50 रुपया था जिसमें 40 पेज हुआ करते थे जबकि आरोपित द्वारा मात्र 32 पेज के उत्तर पुस्तिकाओं के कयादेश 12.50 रुपये की दर से किया गया जिससे स्पष्ट रूप से आपूर्ति कर्ता को सदोष लाभ पहुँचाने के आरोप की पुष्टि होती है।

(4) उपरोक्त भुगतान को नियमित करने के लिए आरोपित कुलपति द्वारा एक कथ एवं विक्रय समिति का गठन बाद में किया गया एवं इस समिति के द्वारा कथ सम्बन्धी प्रस्ताव से लेकर कयादेश एवं भुगतान करने संबंधी सभी कार्रवाई को अर्थात् 31.05.14 को करने की कार्रवाई की गई क्योंकि इनके द्वारा संबंधित फर्म को मौखिक कयादेश दे दिया गया था एवं अग्रिम के रूप में कुल 50 लाख की राशि की भुगतान कर दी गई थी। स्पष्ट है कि कयादेश निर्गत करने एवं अग्रिम भुगतान के कार्रवाई को नियमित करने के उद्देश्य से बाद में इनके द्वारा कथ समिति का गठन किया गया और एक ही दिन में भुगतान की कार्रवाई पुरी की गई और इस प्रकार इस फर्म को इस कयादेश के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 30 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

5. अभिलेखों के जाँच के दौरान यह भी पाया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के कथ के संबंध में इनके कार्यालय के कनीय पदाधिकारियों द्वारा इनके प्रस्तावित कार्रवाई को किये जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी परन्तु इसको नजर अन्तज करते हुए कुलपति द्वारा यह कार्रवाई की कार्रवाई की गयी।

(6) जाँच के क्रम में यह भी पाया गया है कि चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा० लि० को ही गोपनीय छापी इत्यादि के काम पर कुल 14 लाख 88 हजार 549 रुपये का भुगतान भी आरोपित के द्वारा किया गया है।

(7) जाँच के क्रम में पाया गया कि आरोपियों द्वारा मिली-भगत कर सुनियोजित षडयंत्र के तहत सरकारी राशि का गवन करने के उद्देश्य से फर्जी अभिलेख तैयार कर सरकारी नियमों एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा के कम पेज वाले उत्तर पुस्तिकाओं का कथ अधिक दर पर C.U.P.L. कम्पनी को सदोष लाभ पहुँचाने के नियत से अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए सरकारी कोष को लगभग 01 करोड़ 44 लाख रुपये के अभी तक के सरकारी राजस्व की हानि पहुँचाने के लिए निम्नलिखित सरकारी सेवक प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं :-

1. प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

WJ


9/1/15 (8)

2. श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वित्तीय परामर्शी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
3. श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
4. प्रो० सरोज कुमार वर्मा, राजनीति शास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विक्रय समिति के सदस्य।
5. डा० अजीत कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विक्रय समिति के सदस्य।
6. डा० अनिता, हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विक्रय समिति के सदस्य।
7. निदेशक, चन्द्रकला युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 118 बी. विंग, Ansa Industrial Estate, Andheri East, Mumbai- 400072
अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगी जन।

अनुसंधान है कि उपरोक्त चिन्हित सरकारी सेवकों के विरुद्ध अवतक जाँच के काम में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए।

संलग्न:- जाँच प्रतिवेदन अनुलग्नक सहित।

विश्वासभाजन



(आर०के० पोद्दार)

पुलिस उपाधीक्षक-सह-जाँच प्रभारी
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

आदेशानुसार निगरानी थाना कांड संख्या-010/2015, दिनांक 30.01.2015, धारा- 409/420/467/468/471/477(ए)/34/120(बी) भा०द०वि० एवं धारा- 13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी) ध०नि०अधि० 1988 अंकित किया एवं कांड का अनुसंधान भार श्री दिलीप कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र को सौंपा।



पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष,
निगरानी थाना, 6-सर्कुलर रोड, पटना।

Seen
Arso Judge
31.11.15

संवा. नं.

पुलिस अधीक्षक (जॉब),
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
बिहार, पटना।

प्रसंग:-

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक परि० कोषांग-1420 दिनांक-
06.11.14 एवं 1458/निग०, दिनांक- 24.11.14

विषय :-

प्र० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध परिवार
पत्र का सत्यापन-सह- जॉब प्रतिवेदन।

महाशय,

सूचित करना है कि श्री विश्वजीत कुमार चंदेल, पिता श्री निरसु नारायण सिंह, ग्राम-
मंगौली, वाना- मधरक, जिला- छपरा द्वारा दिया गया परिवार दिनांक- 28.08.14 एवं लघु-पत्र
दिनांक- 23.09.14 के आधार पर यह जॉब आरम्भ किया गया है। परिवार पत्र में निम्नलिखित
आरोप लगाये गए हैं :-

(1) आरोप:-

1.1 वर्तमान कुलपति प्र० द्विजेन्द्र गुप्ता के पदभार ग्रहण करने के पश्चात बिना
निविदा, बिना दर तय किये हुए लगभग 02 करोड़ की सारी उत्तर पुस्तिका का कय दिया गया।
जिसके कमीशन के रूप में लगभग 60 से 70 लाख रुपया लिया गया है। विसीय प्रावधानों तथा
बिहार सरकार निविदा नियमावली का उल्लंघन करते हुए यह कार्य आदेश एक इलाहाबाद के नये
प्रतिष्ठान, चन्द्र कला युनिवर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) को दे दिया गया।

1.2 चन्द्र कला युनिवर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) एक नया प्रतिष्ठान जिसका
जन्म 13 दिसम्बर 2013 को ही हुआ है। इस फार्म के सारी उत्तरपुस्तिका छापने या प्रक-पत्र
छापने इत्यादि का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक नये फार्म को बिना निविदा निकाले,
बिना दर तय किये हुए, 50 लाख का अग्रिम भुगतान कर दिया गया तथा उक्त अर्ग द्वारा दिये
गये सारे शर्तों को मानकर अंतिम भुगतान भी कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि चन्द्र कला
युनिवर्सल प्रा० लि० (C.U.P.L.) को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कुलपति एवं विसीय परिमर्शी
द्वारा यह कुकृत्य किया गया है। विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि उक्त फार्म कुलपति के
किसी संबंधी का है।

1.3 निविदा नियमावली के मुताबिक 01 लाख से उपर का कय करनी हेतु
समाचार-पत्र में विज्ञापन की आवश्यकता होती है। लेकिन जय प्रकाश वि०वि० के वर्तमान कुलपति
द्वारा करोड़ों रुपये का भुगतान बिना विहित प्रक्रिया अपनाये कर दिया गया।

संवा. दिनांक
27/01/15

14

ms
910501/2014
31.1.15

1.4. यही नही उक्त फार्म को गोपनीय छपाई के नाम पर भी लाखों रुपया का गलत भुगतान कर दिया गया।

1.5. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कनीय पदाधिकारी तथा कर्मचारी के प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद भी ये सारे भुगतान किये गये हैं। यही नही प्रवेश-पत्र की छपाई ओ०एम०आर० सीट का कय भी बिना निविदा बिकाले लिया जा रहा है। इसमें 50 लाख का भुगतान होना है।

1.6. सबसे आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि समस्त अग्रिम भुगतान प्रक्रिया प्रस्ताव से लेकर चेक निर्गत करने तक संघिका के अनुसार सिर्फ एक ही दिन 13.05.2014 को सम्पादित किया गया, यह भी एक विचरणीय है कि आपूर्तिकर्ता एवं जे०पी० वि०वि० के अधिकारियों को समस्त प्रक्रिया सिर्फ एक दिनांक- 13.05.2014 को करने में कौन सी बाध्यता थी।

1.7. इसके अतिरिक्त उसी प्रतिष्ठान को पुनः 12.06.2014 को चेक सं०-004397/004395, 004396, 12.06.2014 द्वारा 50 लाख अग्रिम सामंजन करते हुए 41 लाख 25 हजार 996 रुपया का भुगतान कुलपति के मौखिक आदेश से गलत तरीके से कर दिया गया। जबकि उक्त कार्य हेतु कोई भी कार्य आदेश या दर निर्धारण पहले नहीं किया गया था। उक्त संबंध में ही कनीय पदाधिकारी के द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।

1.8. सादी उत्तर पुस्तिका, प्रवेश-पत्र की छपाई, पंजीयन प्रपत्र, ओ०एम०आर० सीट, गोपनीय छपाई ने नही आता है। जहाँ तक पूर्व निर्धारित दर का सवाल है तो जे०पी०वि०वि० के पूर्व कुलपति प्रो० रामविनोद सिन्हा एवं डा० विमल कुमार के कार्यकाल में कय-विकय समिति की बैठक दिनांक- 12.03.2012 एवं 02.03.2013 के द्वारा सादी उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति का आदेश पूर्व निर्धारित दर पर जो विहित प्रक्रिया पालन करते हुए किया गया था। 40 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिका निर्धारित शर्तों के साथ 10 रुपया 50 पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका के दर से बिना किसी दुलाई एवं पैकेजिंग चार्ज दिये आपूर्ति करने का निर्णय किया गया था और इसी दर पर उक्त वक्त के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया। परन्तु इस बार 40 पृष्ठों के जगह 32 पृष्ठों का उत्तर पुस्तिका बिना दर तय किये हुए मजबूत ड्रग से 12 रुपया 50 पैसे प्रति उत्तर पुस्तिका दर निर्धारित किया गया। इस तरह बन्द कला सुनिर्मसल प्राईवेट लिमिटेड का फायदा पहुँचाने के लिए दर में जहाँ 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी वहीं उत्तर पुस्तिका के आपूर्ति में 40 पृष्ठों का आदेश देकर 25 प्रतिशत सामान में कटौती की गयी। यह घोटाला लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा पर पहुँचता है जो अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय अनियमितता है।

1.9. वि०वि० अधिनियम के मुताबिक कय-विकय समिति के गठन में सिंडिकेट द्वारा नामित तीन सदस्य होते हैं तथा इस समिति के अध्यक्ष कुलपति होते हैं। लेकिन इस वित्तीय अनियमितता को धुपाने के लिए बिना सिंडिकेट की बैठक बुलाये कय-विकय समिति का गठन कर लिया गया तथा 31.05.2014 को एक बैठक बुलाकर दर निर्धारण के संबंध में लिपापोती करने का प्रयास किया गया। एक नामित सदस्य को वि०वि० में पद देकर सुशोभित किया गया।

Handwritten signature and date: 31.1.15

1.10. वर्तमान कुलपति इलाहाबाद के रहने वाले हैं तथा चन्द्रकला युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इलाहाबाद की कंपनी है जिसका पंजीकरण कुलपति के नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कराया गया है। यह जाँच का विषय है कि कुलपति एवं चन्द्र कला युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के बीच क्या संबंध है। विशेष सूत्री से यह पता चला है कि उक्त फर्म से ही सारे कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) विभागीय पत्रांक- 1420 दिनांक-06.11.14 से परिवार पत्र का सत्यापन भार पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार, सीवान प्रवेश सीवान को दिया गया था तत्पश्चात विभागीय पत्रांक- 1458 दिनांक- 24.11.14 से परिवार पत्र में लगाये गए आरोपों की जाँच सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों का एक जाँच दल गठित किया गया :-

- 2.1 श्री आर0के0 पोटार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।
- 2.2 श्री नरेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो सीवान प्रवेश।
- 2.3. श्री गुरारी प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर प्रवेश।
- 2.4. श्री रामहरि प्रसाद, अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर प्रवेश।
- 2.5 श्री मोहन प्रसाद शर्मा, अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

(3) श्री गुरारी प्रसाद, पुलिस निरीक्षक अपने कार्य व्यस्तता बताकर अभी तक इस जाँच दल में शामिल नहीं हुए हैं। जाँच में अपेक्षित सहयोग करने के लिए उन्हें बार-बार स्मारित किया जा रहा है।

(4) परिवारी का बयान- जाँच के दौरान परिवारी श्री विश्वजीत कुमार चंदेल (25) पिता श्री निरसु नारायण सिंह, ग्राम- गंगौली, थाना- मशरक, जिला- छपरा का बयान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना में लिया गया। इनके द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गये परिवार पत्र दिनांक-28.08.14 एवं शपथ पत्र दिनांक-23.09.14 को लिखित रूप से संपुष्ट किया गया। संपुष्ट पत्र मूल रूप में संलग्न है। (अनुलग्नक-1)। आगे इनके द्वारा बताया गया कि छत्र नेता के हैसियत से इन्हें प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के कलेक्टरों की जानकारी हुई तो इन्होंने उक्त परिवार पत्र से इसकी जानकारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया। आगे इनके द्वारा बताया गया कि चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा० लि०, इलाहाबाद नामक फर्म का पता लगाने से इलाहाबाद गये थे। वहीं जाने पर इन्हें पता चला कि इस फर्म का निबंधन दिनांक- 13.12.13 को हुआ है जिसका निबंधन सं०- 06123/2013-14 है। इस फर्म को TIN No- 09612720375C दिनांक- 13.04.2014 को मिला है। निबंधन हेतु दिये गये आवेदन में इस फर्म का पता 42/7, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद-211002 है। इन्होंने उपरोक्त दिये गये पता पर इस फर्म को खोजा तो यह फर्म इन्हें नहीं मिला। आगे इनके द्वारा बताया गया कि इस फर्म के सभी निदेशक गण एक ही परिवार के सदस्य हैं जो प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के सम्बन्धी हैं। प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता का जब जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलपति बनना तय हो गया तो इन्होंने अपने सगा-संबंधी के नाम उक्त फर्म को निर्बंधित कराया एवं बिना कथ-बिबिध समिति गठित किये C.U.P.L. को छपाई एवं आपूर्ति आदेश देकर 50

Handwritten mark/signature at the bottom left.

41

copy
9/12/15
31.1.15

लाख रुपया अग्रिम भुगतान किये और अभी तक लगभग 02 करोड़ रुपया भुगतान कर चुके हैं जिसमें इन्हें 60 से 70 लाख रुपया कमीशन प्राप्त हुआ है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के स्टॉक में 20 पृष्ठों वाली लगभग 08 लाख उतर पुस्तिका उपलब्ध था जिससे 02 साल तक सारी परीक्षाएँ ली जा सकती थी। उन कॉपी को कॉलेज में डंप करके एवं उक्त फर्म को आपूर्ति आदेश देकर नये प्रकार के कॉपी का कय कराया गया है। आपूर्ति पश्चात अपने द्वारा कय-विक्रय समिति गठित कर उक्त फर्म C.U.P.L. को मंजूरी दे दी गयी है। कय-विक्रय समिति के सदस्य डा० अजीत तिवारी जिन्होंने इस कार्य को करने को करवाने में अत्यन्त भूमिका निभाया है उन्हें कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में लाभ का पद डायरेक्टर, डिस्ट्रिब्यूश एडुकेशन बना दिया गया है। प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता स्वयं दक्षिण भारत के रहने वाले हैं एवं अपनी सौदी इलाहाबाद में रहने वाले सम्प्रति राजपुर परिवार की लड़की से किया है जो इन दिनों सेन्ट्रल युनिवर्सिटी, इलाहाबाद में, साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता भी मूल रूप से सेन्ट्रल युनिवर्सिटी, इलाहाबाद के प्रोफेसर है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि ये जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से एम०ए० की पढ़ाई पुरा किये हैं तथा पी०एच०डी० पुरा कर चुके हैं। ये जय प्रकाश विश्वविद्यालय में शोध विद्यार्थी संगठन का संयोजक हैं। पी०एच०डी० करने का कार्यकाल 02 साल तक का था जो 16.03.2013 को पुरा हुआ। तत्पश्चात इन्होंने 05.08.13 को वी०एड० की पढ़ाई आरम्भ किया। वैधानिक परीक्षा में शामिल हुए और उत्तीर्ण हुए। अर्थात् 14.11.14 के समाचार पत्र में यह समाचार आया कि वी०एड० में इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दिनांक- 17.11.14 को इन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से नामांकन रद्द किये जाने से संबंधित सूचना की माँग किये जो इन्हें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक- 17.01.2015 को वी०एड० का रिजल्ट निकला तो इन्हें पता चला कि वैधानिक परीक्षा में इन्हें अनुपस्थित दिखलाते हुए वी०एड० की परीक्षा में इन्हें फेल कर दिया गया है। इस प्रकार कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा किये गये द्वेषपूर्ण कारवाई के विरोध में इन्होंने अपना अभ्यावेदन महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को दिया है जहाँ से इन्हें जानकारी दी गयी है कि इनके अभ्यावेदन के आलोक में कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय से तत्कालिक प्रतिवेदन की माँग की गयी है। कुलपति द्वारा इनके विरुद्ध की जा रही कारवाई द्वेषपूर्ण एवं बदले के भावना से प्रेरित है।

(5) जाँच के दौरान परिवारी के साथ आये गवाह 5.1 श्री धर्मोद कुमार सिंह, (34) पिता- श्री केंदार नाथ सिंह, ग्राम+पो०- भागवतपुर, थाना- तरैया, जिला- सारण एवं 5.2 श्री आमोद कुमार सिंह (27) पिता- श्री योजेन्द्र सिंह, ग्राम+पो०- बरगहिया, थाना-मदौरा, जिला- सारण से बारी-बारी से अलग-अलग बयान लिया गया। उक्त दोनों गवाहों ने परिवारी द्वारा दिये गये परिवार पत्र एवं उरामें लगाये गये आरोपों का समर्थन किया। आगे बताया कि जानकारी के अलावा इनके पास कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(6) जाँच दल का प्रतिवेदन :- जाँच के दौरान दिनांक-25.11.14 एवं 22.01.15 को परिवारी एवं गवाहों का बयान लिया गया तथा परिवार पत्र की संपुष्टि हो जाने के पश्चात

laf

42

Seen
H.S.
H.S. 31.1.15
13

5

दिनांक- 04.12.14 से 05.12.14 तक छपरा में लैप करके जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में जॉब दल द्वारा जॉब किया गया। जॉब के दौरान परिवार पत्र में लगाये गये आरोपों से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त किया गया तथा जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के स्टोर का भौतिक सत्यापन किया गया। जॉब के दौरान भंडार में उपलब्ध नये एवं पुराने डिजाईन के उत्तर पुस्तिकाओं को बतौर नमूना विधिवत् प्राप्त किया गया। C.U.P.L. को दिये गये आपूर्ति आदेश एवं किये गये भुगतान से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन पश्चात डा० दिवांशु कुमार, परीक्षा नियंत्रक को अन्य कर्मियों का बयान दर्ज किया गया जिसका उल्लेख इस जॉब प्रतिवेदन के संबंधित कंडिकाओं में किया जायेगा। जॉब के दौरान कय एवं विक्रय समिति के तीनों मनोनीत सदस्यों से अलग-अलग स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसका वर्णन नीचे की कंडिकाओं में किया जा रहा है :-

(7) जॉब के दौरान जॉब Manual of Bihar University Laws के statutes के चैप्टर "कय एवं विक्रय समिति" के मंडल से संबंधित नियम की सत्यापित प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :-

7.1 (b) Purchase and sales Committee

The Committee shall consist of the following :-

1. The Vice- Chancellor- Chairman
2. The Financial Adviser
3. Three members to be nominated by the Syndicate
4. The Finance Officer- Member Secretary

The Committee shall consider annual requirements of University's stores including Examination stores, shall open and consider tenders and the samples and makes its recommendations for purchases to be made from time to time.

The Committee shall conduct auction and make arrangement for the sale of saleable articles or for settlement of land, orchards etc, of the University Estate.

7.2 सुलभ प्रसंग हेतु स्टैट्यूट की सत्यापित छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

(अनुलग्नक-2)

7.3 जॉब के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि वर्तमान जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में कार्यरत वर्तमान कय एवं विक्रय समिति उपरोक्त नियम एवं प्रावधानों के तहत गठित नहीं किया गया है बल्कि प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति के अनुमोदनोपरान्त कय एवं विक्रय समिति का गठन किया गया है जिस कय एवं विक्रय समिति के सदस्य कुलपति स्वयं नहीं हैं। संचिका के

inf

Seen (14)
9/10/2014
31.1.15

अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वित्तीय परामर्शी जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा दिनांक- 29.05.14 को कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के पास एक टिप्पणी अंकित की गयी जो इस प्रकार है :-

7.4. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकाय की परीक्षा निकट भविष्य में होना है। इस सम्बन्ध में उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्र मुद्रण, एवं अन्य विषयों पर कय एवं विकय समिति की निर्णय अपेक्षित है। सिंडिकेट की बैठक निकट भविष्य में होना निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षा का कार्य बाधित होना संभव है। अतः नियमित कय एवं विकय समिति की गठन सिंडिकेट के बैठक के अभाव में नहीं होने के स्थिति में तत्काल तदर्थ कय एवं विकय समिति की बैठक कराकर परीक्षा से संबंधित विषयों पर अनुशंसा प्राप्त करना उचित प्रतीत होता है। अतः तदर्थ कय एवं विकय समिति के लिए सदस्यों को नामित करने पर विचार किया जा सकता है। तदर्थ कय एवं विकय समिति के अनुशंसा की संपुष्टि सिंडिकेट द्वारा गठित समिति में उपस्थापित कर प्राप्त किया जाने का आदेश दिया जा सकता है। हस्ताक्षर- प्यारे मोहन सहाय, दिनांक-29.05.14/तत्कालीन वित्तीय परामर्शी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

7.5. Realizing the urgency and exigencies of the situation for timely conduct of examination and in order not to delay any further the examination, your recommendations seem reasonable but in anticipation of concurrence of Finance Committee and approval of Syndicate three names in respect of are recommended as below :- (1) Prof. Saroj Kumar Verma, Political Science, J.P. University (2) Dr. Ajeet Kumar Tiwari, Economics Department, J.P. University, 3. Dr. Anita, Hindi Department, J.P. University. This is only one time arrangement to solve the urgency and not for any other purchase committee meetings. Also, I would like to dissociate from the Committee as Chairman but would only consider any recommendations after the meeting. Minutes are brought to my attention and consideration. Further, for next meetings, the names, duly recommended by Syndicate must come from there. Also get the proceedings of this emergent urgent purchase committee meet, endorsed by the Finance Committee. Sd/- Dwijendra Gupta, V.C., J.P. University, Chapra, dated- 29.05.14.

7.6 सुलभ प्रसंग हेतु कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनुलग्नक- 3)।

7.7 जीव के दौरान कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि समय पर कॉपीयाँ खरीदना एवं परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध कराना वित्तीय परामर्शी की जिम्मेवारी है जिन्को सहमति एवं अनुमति के बिना विश्वविद्यालय में कुछ भी कय विकय नहीं किया जा सकता है। परीक्षा बाधित नहीं हो इसलिए उन्होंने विशेष परिस्थिति में वित्तीय परामर्शी की अनुशंसा को अनुमोदित किया है।

7.8 उपरोक्त नियम एवं कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये जवाब से जीव टल को ऐसा लगता है कि वर्तमान कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा

Seen
9/5/15
3/1/15
(15)

दिनांक-29.05.14 के तिथि में जिस कय एवं विकय समिति को गठित किया गया है वह वैधानिक नहीं है। यह कय एवं विकय समिति निगरानी दल के जाँच के दिन तक संचालित एवं कार्यरत था। स्पष्ट है कि इस कय एवं विकय समिति के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

(B) जाँच के दौरान डा० दिव्यांशु कुमार, परीक्षा नियंत्रक द्वारा लिखित प्रयास दिया गया है जो इस प्रकार है :-

8.1. आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार परीक्षा की अनिवार्यता एवं परीक्षा में शुविता रखने के लिए security feature से युक्त 04 लाख 32 पृष्ठों की एवं 01 लाख 08 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति हेतु अदेश. C.U.P.L. को 21.03.2014 को किया गया। इसके बाद C.U.P.L. के द्वारा 09.04.2014 को 32 पृष्ठों की एक लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गयी एवं 08 पृष्ठों की 99,000 उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गयी। पुनः 15.04.2014 को 08 पृष्ठों की 1297 उत्तर पुस्तिकाएँ एवं 32 पृष्ठों की 03 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की गयी। इन उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग TDCIII परीक्षा 2014 जो कि 16 मई से प्रारम्भ होगी थी, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर मौखिक आदेशानुसार एवं निर्देशानुसार 03 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति 09 मई 2014 को की गयी, जिसकी घटवोत्तर स्वीकृति 13 मई 2014 को की गयी। छात्र हित में यह आवश्यक था, उत्तर पुस्तिकाओं के अभाव के कारण परीक्षा को टाला नहीं जा सकता था।

उत्तर पुस्तिकाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संघिका बहुत पहले वित्त विभाग के पास प्रस्तुत की गई थी। परीक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव हेतु विहित प्रक्रिया एवं विधि सम्मत प्रक्रिया को द्वारा आपूर्ति करते हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा गया था। कार्य का सम्पादन प्रक्रियानुसार हो, इसकी जिम्मेवारी वित्त विभाग एवं कुलसचिव महोदय की होती है। विश्वविद्यालय में बहुत सारी परीक्षाओं का संचालन करना होता है एवं निश्चित समय पर परीक्षा लेनी पड़ती है एवं निश्चित समय पर परीक्षाफल का प्रकाशन करना होता है। छात्रहित में यह आवश्यक है कि निश्चित समय पर परीक्षा ली जाए एवं निश्चित समय पर परीक्षाफल का प्रकाशन हो। चूंकि विहित प्रक्रियानुसार दर का निर्धारण उस समय तक नहीं हो पाया था, अतः 07 लाख 32 पृष्ठों की एवं 01 लाख 08 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति करने के बाद भी C.U.P.L. द्वारा दिये हुये विल को परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव के रूप में नहीं बढ़ाया गया बल्कि एक अनुमानित राशि जो कि विधिसम्मत हो, के भुगतान हेतु प्रस्ताव दिया गया। पुनः 31.05.2014 को Sales and Purchase Committee द्वारा दर को निर्धारित करने के बाद उक्त फर्म के द्वारा दर के साथ सम्पूर्ण विल को प्रस्तुत किया गया। दर के साथ सम्पूर्ण विल प्रस्तुत करने के बाद ही Stock Entry करावी जाती है। यही नेट बचान है। हस्ताक्षर- डा० दिव्यांशु कुमार, परीक्षा नियंत्रक, छपरा। सुलभ प्रसंग हेतु डा० दिव्यांशु कुमार द्वारा दिया गया बचान दिनांक-05.12.14 मूल रूप में संलग्न है (अनुलग्नक-4)।

104

Jeem
W2
Resubjudge
31/15

8.2 उपरोक्त कय एवं बिकय समिति की बैठक दिनांक-31.05.14 को वित्तीय सलाहकार के कार्यालय कक्ष में हुई है जिसमें कमीटी के तीनों सदस्यों के अलावे वित्तीय सलाहकार तथा एक अन्य परामर्शकारी भाग लिये है जिसकी उपस्थिति में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिया गया कोटेशन खोला गया है। खोले गए कोटेशन क्रमशः 1. स्वीफ्ट ऑपरोट प्रिन्टोन, अब्दूल मजी संद, फतेहपुर द्वारा 08.02.14, 2. जेवाम सोलाराम ग्राफिक्स, कानपुर द्वारा 10.03.14, X9 द्वारा दिनांक- 09.04.14 एवं C.U.P.L द्वारा 13.03.14 को भेजा गया है। सबसे अंत में कोटेशन 09.04.14 को भेजा गया है जिसे 31.05.14 को खोला गया। खोले गये कोटेशन पर किसी आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर नहीं है और सबसे कम दर X9 का होते हुए भी आपूर्ति करने का आदेश C.U.P.L को दिया गया है तुलनात्मक विवरणी 05.12.14 की तिथि में बनाया गया है जिस पर वित्तीय सलाहकार का हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि तुलनात्मक विवरणी बनने के पहले ही उनका स्थानान्तरण हो चुका है। कोटेशन खोलने के दिन टेन्डीकल बीड एवं फिजानसियल बीड की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आपूर्तिकर्ता C.U.P.L को उनका कोटेशन अनुमोदित होने के पहले से ही आपूर्ति करने का मौखिक आदेश दे दिया गया है। आपूर्ति करने के पहले ही 50 लाख रुपये अधिम दे दिया गया है जो इन बातों को दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के प्रधान जो कुलपति होते है उनसे C.U.P.L की साठ-गांठ है और प्रधान के मर्जी के अनुसार C.U.P.L को भुगतान दे दिया जा रहा है केवल फोरमलिटिज को पूरा करने के लिए अभिलेखों को तैयार एवं संधारित किया गया है। आपूर्तिकर्ता C.U.P.L द्वारा अधिम राशि प्राप्त करने के बाद की तिथियों में आपूर्ति किया गया है एवं बिल दिया गया है इसप्रकार C.U.P.L के द्वारा जो भी आपूर्ति किये गये है वे सभी भियमानुकुल नहीं है और परिवारी द्वारा लगाये गये आरोपों को पुष्टि करता है। सुलभ प्रसंग हेतु सभी कोटेशन दाताओं द्वारा दिये गये कोटेशन कय समिति द्वारा बनाया गया तुलनात्मक विवरणी एवं की गयी रिपयनी तथा प्रोसेडींग की छाया प्रति बीमान के अवलोकनार्थ संलग्न है।

(अनुलग्नक- 5/1,5/2,5/3, 5/4, 5/5,5/6)

8.3 जीव दल द्वारा कय समिति के तीनों सदस्यों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया वह मूल रूप से बीमान के अवलोकनार्थ संलग्न है। जीव दल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं स्पष्टीकरण के साथ लगाये गये अनुलग्नक में विरोधाभास है केवल C.U.P.L को मदद पहुँचाने के शिवाय से कय समिति की बैठक की समाप्ति की गयी है। सुलभ प्रसंग हेतु कय समिति द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अनुलग्नक सहित मूल रूप में संलग्न है। (अनुलग्नक-6/1,6/2,6/3)

(9.1) कुलसचिव जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार C.U.P.L को दिनांक- 21.03.14 को 32 पन्ने का 04 लाख कॉपी एवं 08 पन्ने का 01 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था जिसकी आपूर्ति उनके द्वारा की गयी और 02.06.14 की तिथि में 53 लाख 75 हजार रुपये का बिल विश्वविद्यालय को दिया गया जिसके एवज में आपूर्तिकर्ता को क्रमशः 26.03.14 एवं 13.05.14 के तिथियों में कुल 50

inf

seen

(17)

9
9/5/2015
31.1.15

लाख रुपये राशि का भुगतान किया गया है अर्थात् बिल दिये जाने के पहले तिथियों में ही आपूर्तिकर्ता को 50 लाख रुपये अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया गया है। दूसरी बार C.U.P.L को आपूर्ति करने का आदेश 13.05.14 को 32 पन्ने का 03 लाख उत्तर पुस्तिकाएँ आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। आपूर्तिकर्ता ने दिनांक-06.06.14 को आपूर्ति किया है उसी दिन स्टॉक इन्ट्री हुई है लेकिन बिल की तिथि 02.06.14 है। आपूर्तिकर्ता द्वारा 37 लाख 50 हजार रुपये की ग्रांज किया गया है इसके एवज में उन्हें 12.06.14 को 34 लाख 80 हजार 775 रुपये भुगतान किया गया है। तीसरी बार आपूर्ति करने का आदेश 31.05.14 को दिया गया है जिसे आपूर्तिकर्ता ने 02.08.14 को आपूर्ति किया है उसी दिन स्टॉक में प्रविष्ट हुई है। 15.07.14 की तिथि में 48 लाख 75 हजार रुपये का बिल दिया गया है इसके एवज में दिनांक- 27.08.14 एवं 29.08.14 को मिलाकर कुल 45 लाख 31 हजार 984 रुपये का भुगतान किया गया है। अर्थात् प्रथम से लेकर तृतीय तक जो भी आदेश आपूर्तिकर्ता C.U.P.L को दिये गये हैं वे सभी सम्बन्धित कय समिति की बैठक के पूर्व के तिथियों में हैं और आपूर्तिकर्ताओं को दिये गये आदेश की प्रति जाँच कर्ता को इसलिए उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि आपूर्ति करने का आदेश मौखिक था। इस प्रकार मौखिक आदेश पर आपूर्तिकर्ता C.U.P.L द्वारा आपूर्ति किया जाना उसका दर अनुमोदन के पूर्व उसे कटौती का भुगतान कर दिया जाना यह दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ता और प्रधान के बीच विशिष्ट रूप से तालमेल है और सुविधाजनक स्थिति में दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि परिवारी द्वारा लगाये गये आरोप सही प्रतीत होता है। सुलभ प्रसंग हेतु कुलसचिव द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरणी की छायाप्रति श्रीमान के अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनुलग्नक- 7/1,7/2,7/3,7/4,7/5)

(9.2) जाँच के दौरान जाँच दल को यह तथ्य उजागर हुआ कि उत्तर पुस्तिकाओं के आपूर्ति के अतिरिक्त C.U.P.L को गोपनीय छापाई के नाम पर लाखों की राशि का भुगतान किया गया है तत्संबंधी जाँच करने पर कुलसचिव द्वारा विवरणी उपलब्ध कराया गया है कि C.U.P.L को गोपनीय छापाई के नाम पर चेक नं०- 004352 दिनांक- 03.06.14 से 14 लाख 88 हजार 549 रुपये का भुगतान किया गया है। इस संबंध में कुलसचिव द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण संलग्न है (अनुलग्नक- 8/1..)

(10) जाँच के दौरान परिवारी द्वारा लगाये गये आरोप की स्टॉक में 08 लाख पूर्व से उत्तरपुस्तिकाएँ थी बावजूद इसके बिना प्रकिया अपनाए C.U.P.L से उत्तर पुस्तिकाएँ कय की गयी है के सम्बन्ध में सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तथा विश्वविद्यालय के स्टोर का भौतिक सत्यापन किया गया है। कुल 32 कॉलेज में से 30 कॉलेज का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका टोटल करने पर पाया गया कि महाविद्यालयों के स्टोर में 2014 के आरम्भ में कुल 2 लाख 59 हजार 579 उत्तर पुस्तिकाएँ बची हुई है इसके अलावा 2014 के आरम्भ में विश्वविद्यालय के स्टोर में 01 लाख 75 हजार, 40 पृष्ठ वाला कॉपी बचे हुए है अर्थात् कुल सारी कॉपियाँ 04 लाख 34 हजार 579 बची हुई थी। विशेष परिस्थिति में

inf

Seen
9/2/2015
31-1-15

(18)

इन कॉपियों का उपयोग किया जा सकता था लेकिन इसके रोककर नई कॉपियाँ बिना प्रक्रिया अपनाए खरीदी एवं परीक्षा केंद्रों पर भेजी गईं जो इस बात का द्योतक है कि कॉपियों की खरीदगी में केता से अधिक आपूर्तिकर्ता उत्पुक थे जिन्होंने बिना प्रक्रिया अपनाए आश्वासन पर कॉपी का आपूर्ति किया है और भुगतान लिया है जो केता एवं आपूर्तिकर्ता का आपसी सम्पर्क और संबंध को उजागर करता है।

(11) जॉब के दौरान C.U.P.L को किये गये भुगतान से संबंधित संचिका का अवलोकन किया गया। जॉब से यह स्पष्ट हुआ कि संचिका का प्रथम पृष्ठ 25.03.14 की तिथि में लेखा अधिकारी को परीक्षा नियंत्रक द्वारा लिखा गया है कि आपूर्तिकर्ता C.U.P.L द्वारा 40 लाख रुपये की अग्रिम की माँग की गई है। लेखा अधिकारी द्वारा 25.03.14 की तिथि में शाखा प्रभारी को टिप्पणी अंकित करने हेतु लिखा गया है। उसी दिन शाखा पदाधिकारी ने अपनी टिप्पणी अंकित किया है कि निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है दर की तुलना में कथ समिति द्वारा निर्धारित दर 40 पृष्ठों के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्य 10 रु एवं 08 पृष्ठों के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्य 04 रुपया निर्धारित है C.U.P.L द्वारा 32 पृष्ठों के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्य 12.50 एवं 08 पृष्ठ के उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्य 3.75 दशति हुए अग्रिम का माँग किया गया है। दर में बढ़ोतरी है प्राइवेट प्रतिष्ठान को अग्रिम भुगतान करना अंकेक्षण द्विष्टिण से उचित नहीं लगता है। उक्त टिप्पणी के बावजूद लेखा पदाधिकारी द्वारा कुलसचिव को 30 लाख रूपये अग्रिम के रूप में C.U.P.L को भुगतान करने हेतु अनुशंसा किया गया है। कुल सचिव ने 26.03.14 के तिथि में यथा प्रस्तावित लिख कर संचिका श्री प्यारे मोहन सहाय, वित्तीय परामर्शी को भेज दिया है। उसी दिन वित्तीय परामर्शी ने कुलपति को अनुशंसा किया है और उसी दिन कुलपति द्वारा As proposed लिखकर संचिका लौटा दी गई और उसी दिन 26.03.14 को चेक C.U.P.L के प्रतिनिधि को प्राप्त हो गया है जिसका हस्ताक्षर संचिका पर उपलब्ध है। पूर्व की भांति दिनांक- 13.05.14 को C.U.P.L द्वारा पुनः अग्रिम की माँग की गयी। वित्त पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव से सहमति जताने हुए कुलसचिव को अनुशंसा की गई है। कुलसचिव ने वित्तीय परामर्शी को संचिका बढ़ाते हुए अपनी टिप्पणी अंकित किया है कि बिना विहित प्रक्रिया अपनाए भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता है। वित्तीय नियमों का पालन कराना वित्तीय परामर्शी का दायित्व होता है। वित्तीय परामर्शी द्वारा उसी दिन कुलपति को टिप्पणी अंकित किया गया है कि C.U.P.L ने 03 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का आपूर्ति कर दिया है जिसको ध्यान में रखकर तत्काल C.U.P.L को 20 लाख रूपये अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी जा सकती है उसी दिन कुलपति ने As proposed nothing is away लिखकर संचिका को लौटा दिया है उसी दिन C.U.P.L के प्रतिनिधि को 20 लाख रूपये का भुगतान किया है। उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति के मद में C.U.P.L द्वारा भेजा गया 01 करोड़ 40 लाख रूपये के बिल के एवज में उसे 01 करोड़ 30 लाख 52 हजार 759 रूपये का भुगतान 05 चेक के द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया है जिसका उल्लेख अनुलग्नक 7/2 एवं 7/3 में है। C.U.P.L द्वारा

48

seen
K.S.
Respite
31.1.15

(19)

अभीतक कुल 14 लाख उत्तरपुरिस्तिकनों का आपूर्ति किया गया है जिसका उल्लेख अबुलग्नक-7/4 में है। संघिका की छायाप्रति श्रीमान के अवलोकनार्थ संलग्न है। (अबुलग्नक:- 8/2)

(12) जॉच के दौरान अभी तक यह सिद्ध और साबित नहीं हो सका है कि C.U.P.L का वास्तव में कार्यालय इलाहाबाद या बम्बई में है। C.U.P.L ने अपना निबंधित कार्यालय बम्बई दर्शाया है जबकि निबंधन इलाहाबाद के पता पर लिया गया है। इस फर्म को स्थापित करने के लिए इलाहाबाद और बम्बई जाकर जॉच करना आवश्यक प्रतीत होता है। फर्म के निदेशकगण एक ही परिवार के प्रतीत होते हैं। सुलभ प्रसंग के लिए C.U.P.L का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। (अबुलग्नक- 9/1)

(13) अभी तक के जॉच से परिवारी द्वारा परिवार पत्र में लगाये गये आरोप सही प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रथम दृष्टया साथ उपलब्ध है :-

1. प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
2. श्री प्यारे मोहन सहाय, तत्कालीन वित्तीय परामर्शी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
3. श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।
4. प्रो० सरोज कुमार वर्मा, राजनीति शास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विद्य संमिति के सदस्य।
5. डा० अजीत कुमार तिवारी, अर्थशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विद्य संमिति के सदस्य।
6. डा० अनिता, हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा-सह-कय विद्य संमिति के सदस्य।
7. निदेशक, चन्द्रकला युनिवर्सल प्राईवेट लिमिटेड, 118 बी. wing. Ansa Industrial Estate, Andheri East, Mumbai- 400072
8. अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोगी गण।

अबुलग्नक:- यदोपरि।

विश्वासभाजन

27.01.2015
(आर०के० पौदार)

पुलिस उपाधीक्षक-सह-जॉच प्रभारी
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

*** ANN-6 ***

49

C-2m
कारक

अनुसूची 47, प्रापत्र सं०-118
आ० 85 प्रापत्र सं०-26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F.I.R.)

135783

(द० प्र० सं० को धारा 154 के अधीन)

G.R. No. 05931/15 R. No. 8776/15

1. *जिला कारागार (Dist.) *अनुमंडल कारागार (S. Div.) *थाना मुजफ्फरीगंज (P.S.) *वर्ष 2015 *प्राथमिकी सं० 261/15 *तिथि 16/10/15

2. (I) *अधिनियम (Act) 250 द० वि० *धाराएँ (Sections) 341/342/343

(II) *अधिनियम (Act) *धाराएँ (Sections) 504/506/34

(III) *अधिनियम (Act) *धाराएँ (Sections)

(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections)

3. (क) *अपराध की घटना विविध दि० 31/10/15 *तिथि से 14/10/15 *तिथि तक
(Occurance of offence) (Day) (Date from) (Date to)

*समयावधि (पहर) 4:30 *बजे से 4:36 अगहन *बजे तक
(Time period) (Time from) (Time to)

(ख) थाना में प्रापत्र सूचना तिथि 16/10/15 समय 17:30 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 16/10/15 समय 17:30 बजे

(घ) थाना से निकले संदर्भ-प्रतिष्ठी सं० समय 17:30 बजे

4. सूचना का प्रकार (Type of information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral)

5. घटनास्थल - (क) थाना में दिशा एवं दूरी पुरख 1/2 थाना सं० 5117

(ख) *पता (Address) ग्राम अमरकाम निम्बकविद्यालय थाना 4परा मुजफ्फरीगंज जिला खारण

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दिशा में थाना का नाम जिला

6. परिवारी/सूचना रात :

(क) नाम राध रण विजय देव पराम्बा पहाड़ बिधी ग्राम

(ख) पिता/माँ का नाम स्व० राम जी राम

(ग) जन्म तिथि (घ) राष्ट्रीय भारतीय

(ङ) प्रापत्र सं० निर्गम तिथि निर्गम स्थान

(च) पता जौकरी

(क) पता ग्राम राजीव पुलिस नाका धं० 214 के खैरे पश्चिम कड़ी बाजार 4परा थाना मंगलान बाजार जिला खारण

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

(2)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

① डा० रवि प्रकाश वल्लु कुलपतिव जम प्रकाश विष्णुविद्यालय
द्वारा कुछ अज्ञात समीची

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विकृता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विकृता/विचित्रताएँ (Deformities/ peculiarities)	*दंत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	पहनना (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जल का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुट (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जखम चिह्न (Scar)	*गोदरा (Tattoo)
	13	14	15	16	17

क
ग
घ
ङ
च
छ
ज
झ
ञ
ट
ठ
ड
ढ
ण
त
थ
द
ध
न
प
फ
ब
भ
म

यदि जांचकर्ता/पुलिस ने दे बाल/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशेषताएँ दी जाएं तथा उन से प्रतियोगिता की जाएगी। इसका उपयोग अनुसंधानक के सहायताार्थ बोलत शारीरिक लक्षण के उपयोग से ही किया जाएगा। इस प्रकार केवल तब अधिकृत तब से किसी संदिग्ध व्यक्ति को विधिगत तौर पर, यदि कोई हो, में ली जायेगा। जब कोई अधिकृत निरन्तर विचार जाए तब पूर्व-संदिग्ध पर विचार के लिए विचार नहीं जारी से संबंधित तलाक और पूर्व अधिकृत पुनः किया जाएगा।

सौदा में

कुलराजिब गटोवाल
जयप्रकाश विहारपालय, इपरा ।

विषय :- आवेदक का ग्राह अगस्त 2015 के अवकाश
वेतन की विवृति का प्रत्येक ।

12-10-16

अप्रतिबन्धित विषय की ओर आपका ध्यान
आपके कृपया विवेदन है उक्त ग्राह (अगस्त 2015)
के वेतन वेतन बिना मेरी कोर्ट मालती/गोप के री-
डिमा दिया गया है ।

विहित हो के मेरी माँ बीमार चल रही है
जिसमें उक्त की दवा आदि एवं चिकित्सा हेतु कुछ
राशियाँ आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। मेरे स्व-
ग्राह (अगस्त 2015) का वेतन रोके जाने के संदर्भ में
कुछ कोर्ट पूर्व से चलता भी नहीं था ।

मेरे द्वारा निरुद्ध एवं तत्पश्चात् से विवृति
आपके माध्यम से होना है ।

अतः तत्र निवेदन है कि मेरे उक्त
ग्राह (अगस्त 2015) का वेतन विवृति का आदेश
देने की कृपा की जाय ।

विहारपालय

12-10-16

12-10-16

(राज्य शांति मंत्रालय)
प्रशासन पर्याप्तकारी
विधि एवं कानून विभाग
जयप्रकाश विहारपालय,
इपरा ।

सेवा में

कुलसचिव

राज्य प्रशासन विभाग, दिल्ली।

आवेदन का माह अक्टूबर 2015 के अग्रिम वेतन की विवृति का अग्रोद्यो।

11/10/15

12/10/15

अधुना विभाग मेरे द्वारा प्रार्थित आदेशन पत्र दि 6/10/15 (दया धारी अनुलग्न) के परिणाम में आपकी प्रार्थना को ध्यान में रखा है जब तक मेरा अग्रिम वेतन का लम्बित वेतन के भुगतान के संदर्भ में आपका इशारा कुछ भी नहीं किया गया। मैंने तब से अपने माल पर भी अपनी आर्थिक कठिनाई काटते हुए (जो की बीमारी आदि) आग्रह किया पर आप मौन रहे। आपने मेरे वेतन की अवलोकन करने का कोई भी सामुचित कारण भी नहीं बताया किन्तु हो कि फेंके के अभाव में मुझे काफी दिक्कत हो रही है और यदि मेरा उचित वेतन मालूम है तो मुझे अकेलजीय एवं आपकी क्षति होगी।

अतः प्रार्थना है कि मेरे उक्त माह के (अक्टूबर 2015) का वेतन तथा उचित भुगतान किया जाए।

दिनांक 11/10/15
 (राज्य प्रशासन विभाग में)

8. परिवारी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए किलंब का कारण :
9. चुराए गए/अर्जेंट/बचत सम्पत्तियों के न्यारे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)
10. *चुराए गए/अर्जेंट/बचत सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)
11. अन्वेषणिक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U. D. Case No., if any)
12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

117 बजार जिला सूरज

कारि का लिखित आवेदन जो इस काण्ड का
मूल आधार है का मूल प्रति मूल के सामने
घामा प्रति अक्स के साथ खंगालना है।

अस अफगाणिह
16/10/88
पु० सं० 118
दपरा सुफकीलवाणा

कारवाई : शीक उपर्युक्त सूचना से मर सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कारि एवं
व एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया अखिलेश्वर राम परनाम पु० सं० 118 का
कारने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/ अधिकारिता के प्रश्न पर _____ धाम को
किया गया। प्राथमिकी परिचारी/सूचनादाता को पदकर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अधिलिखित किया गया, फलतः शीक
के उसकी एक प्रति परिचारी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken . Since the above report reveals
an act of offence (s) w/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation /
1* _____ Rank _____ to take up the investigation.)

सूचना प्राप्त का इत्याधर/जोडा का विधान।
साधारण में प्रथम की तिथि एवं समय -

अस अफगाणिह
16/10/88
धाम प्रथमी का इतिहास

नाम (Name) अस अफगाणिह
पदनाम (Designation) पु० सं० 118
दपरा सुफकीलवाणा

प्राथमिकी (F. I. R.)
(द० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

1. *जिला...सारण... *अनुमंडल...सदर... *थाना...मुफ्फसील... *वर्ष...2015... *प्राथमिकी सं 261/15... *तिथि...16/10/2015
(Distt.) (S. Div.) (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)
2. (I) *अधिनियम (Act)... भा.व.वि... *धाराएँ (Sections)... 341/342/323...
(II) *अधिनियम (Act)... X... *धाराएँ (Sections)... 504/506/34...
(III) *अधिनियम (Act)... X... *धाराएँ (Sections)... X...
(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections)...
3. (क) *अपराध की घटना... विविध... *दिन... अंकित नहीं... *तिथि से... 16.10.2015... *तिथि तक...
(Occurrence of offence) (Day) (Date from) (Date to)
*समयावधि (पहर)... छठवाँ... बजे से... 4:36 अपराह्न... *बजे तक...
(Time period) (Time from) (Time to)
(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि... 16/10/2015... समय... 17:30 बजे...
(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि... 16/10/2015... समय... 17:30 बजे...
(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं०... समय... 17:30 बजे...
4. सूचना का प्रकार (Type of information) लिखित/मौखिक (Written/Oral)-
5. घटना स्थल- (क) थाना से दिशा एवं दूरी... पुरब 1.2... गरत सं०... VIII...
(ख) *पता (Address)... ग्राम- जयप्रकाश विश्वविद्यालय कुलपती कार्यालय पास थाना छपरा मुफ्फसील जिला सारण ।
(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम... जिला...
6. परिवादी/सूचना दाता :
(क) नाम ... राय रणविजय देव, प्रशाखा पदाधिकारी, विधि शाखा...
(ख) पिता/पति का नाम ... स्व० राम जी राम...
(ग) जन्म तिथि ... x... (घ) राष्ट्रियता ... भारतीय...
(ङ) पारपत्र सं० ... x... निर्गम तिथि ... x... निर्गम स्थान ... x...
(च) पेशा ... नौकरी...
(छ) पता- ग्राम समीप पुलिस नाका सं० 214 के सटे परिधम काशी बाजार छपरा थाना-भगवान बाजार जिला- सारण ।

True typed copy of its original

(Arunindan Kumar P.S.)
AOR No 03548

अनुसूची 47, प्रपत्र सं- 118

7. ज्ञात/सद्विध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएँ)

(1) डा० रवि प्रकाश बबलु कुलसचिव जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा कुछ अज्ञात

सद्विध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्म तिथि (तिथि / मास / वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में (Height) (In Cms.)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

*विरूपता / विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दाँत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-

*भाषा / बोली (Language/Dialect)	स्थान				
	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कण्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जखन चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-

यदि परिवारी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा सद्विध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टताएँ दी जाएँ तभी इन स्तंभों में प्रविष्टियाँ की जाएँगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी सद्विध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तक पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएँगे।

TRUE TYPED COPY of its original



(Avinindra Kumar (RS))

AR-1 03548

सेवा में,

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय,
मुफ्फसिल, छपरा ।

विषय: डॉ० रविप्रकाश बबलू, कुलसचिव, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला करने हेतु उनके द्वारा समर्थित असामाजिक तत्त्वों को उकसाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको सादर सूचित करना है कि समय 4:36 अपराहन में करीब जब मैं अपने बकाये वेतन अगस्त माह 2015 का जो अकारण कुलसचिव द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, को विमुक्त करने हेतु अनुरोध करने के लिए उनके कार्यालय में गया ।

मैंने उनसे कहा कि श्रीमान् मेरा वेतन किस गलती के कारण रोक दिया गया तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि भागते हो कि नहीं, नहीं तो अभी इसी छत से फेंकवा दूंगा जिसका मैं विरोध किया तब तक कुछ मुँह ढके हुए व्यक्ति मुझे कालर पकड़कर छत से फेंकने का प्रयास किया और ये कुलसचिव कह रहे थे कि मुआ दो इसे, बहुत ही यह हरामी आदमी है ।

कुछ कर्मचारियों (वि० वि० के) के बीच-बचाव से मेरा जान बच पाया ।

अतः मेरी रक्षा की जाय ।

अनुलग्नक— मेरा आवेदन दिनांक 6.10.15
एवं 14.10.15

विश्वासभाजन,

ह०/—

16.10.15

राय रणविजय देव


प्रशाखा पद०

विधि एवं सूचना विभाग

जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

स्थायी पता
राय रणविजय देव
पुत्र स्व० रामजी राय
समीप पुलिस नाका सं० 2/4 के सटे
पश्चिम काशी बाजार छपरा (उम्र 35 वर्ष करीब)

True typed copy of its original


(Avonindra Kumar / K9)

File No 03548

52

सेवा में,

कुलसचिव महोदय,
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

विषय: आवेदक का माह अगस्त 2015 के अवरूद्ध वेतन की विमुक्ति का अनुरोध ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है उक्त माह (अगस्त 2015) का मेरा वेतन बिना मेरी कोई गलती/दोष के ही रोक दिया गया है ।

विदित हो कि मेरी माँ बीमार चल रही है जिसमें उनकी दवा आदि एवं चिकित्सा हेतु मुझे काफी आर्थिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है । मेरे उक्त माह (अगस्त 2015) का वेतन रोके जाने के संदर्भ में मुझे कोई पूर्व से सूचना भी नहीं थी ।

मैं पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से विश्वविद्यालय कार्यालय में सेवारत हूँ ।

अतः नम्र निवेदन है कि मेरे उक्त माह (अगस्त 2015) का वेतन विमुक्ति का आदेश देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

6.10.15


(राय रणविजय देव)

प्रशाखा पदाधिकारी

विधि एवं सूचना विभाग

जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा ।

True Typed Copy of its original


(Avinash Kumar)

For no 03548

सेवा में,

53

कुलसचिव,

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा ।

विषय: आवेदक का माह अगस्त 2015 के अवरूद्ध वेतन की विमुक्ति का अनुरोध ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मेरे द्वारा समर्पित आवेदन पत्र दिनांक 06.10.15 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में आपको स्मारित करते हुए कहना है अब तक मेरा अगस्त 2015 का लम्बित वेतन के भुगतान के संदर्भ में आपके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया । मैंने स्वयं आपसे मिलकर भी अपनी आर्थिक कठिनाई बताते हुए (मों की बीमारी आदि) आग्रह किया पर आप मौन रहे । आपने मेरे वेतन को अवरूद्ध करने का कोई भी समुचित कारण भी नहीं बताया ।

विदित हो कि पैसे के अभाव में मुझे काफी दिक्कत हो रही है और यदि मेरा शीघ्र वेतन नहीं मिलता है तो मुझे अकथनीय एवं अपार क्षति होगी ।

अतः प्रार्थना है कि मेरे उक्त माह (अगस्त 2015) का वेतन यथाशीघ्र भुगतान किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

14.10.15

(राय रणविजय देव)

प्रशाखा पदाधिकारी

विधि एवं सूचना विभाग

जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा ।

True typed copy of its original

(Signature)


(Anand Kumar / 19)

Acc No 03548

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०- 118

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण :
-
-
9. चुरायी गयी/अन्तर्गम्य/बरामद सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)
-
-
-
10. *चुरायी गयी/अन्तर्गम्य/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered).....
-
-
11. *अस्वामिक मृत्यु कांड सं०, यदि हो तो (U.D. Case No., if any)
-
12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

TRUE TYPED COPY of its original



(Avani Kumar (S))

Acc No - 03548

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०- 118

वादी का लिखित आवेदन जो इस काण्ड का मूल आधार है का मूल प्रति मूल के साथ एवं छायाप्रति अन्य के साथ संलग्न है ।

ब्रज भूषण सिंह
16/10/2015
पु.अ.नि.
छपरा मुफ्फसील थाना

13. की गई कार्रवाई: धुंकि उपर्युक्त सूचना से मद सं० 2 में उल्लिखित घराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ कियाअखिलेश्वर राम, पदनाम.....पु० अ० नि०..... का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/आधिकारिकता के प्रश्न परथाना को अंतरित किया गया । प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी । उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी । (Action taken: Since the above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation/directed*..... Rank.....to take up the investigation.)
14. परिवादी/सूचनादाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान ।
15. थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय-

ब्रज भूषण सिंह
16.10.2015
थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name).....ब्रज भूषण सिंह.....
पदनाम (Designation).....पु.अ.नि.
छपरा मुफ्फसील थाना ।

True typed copy of its original



(Avanish Kumar /Ka)

Apd no 03548

Handwritten signature

03.12.2015

प्रमाण सं-15
प्रमाण सं-20 (निर्देश-14)

संख्या

170369 *ANN-7*

प्राथमिकी (F.I.R.)

(दो प्र० सं० की प्राय 154 से अधीन)

Regn - 76/2016

56

जिला: अनुमंडल: थाना: मंच: प्राथमिकी सं०: तिथि:

Dist.: S. Div.: (P.S.) (Yc.) (F.I.R. No.) (Date)

I. अधिनियम (Act) ... *घात* (Sections) ...

II. अधिनियम (Act) ... *घात* (Sections) ...

III. अधिनियम (Act) ... *घात* (Sections) ...

IV. अन्य अधिनियम एवं घात (Other Acts and Sections)

V. अज्ञात की पहचान ... तिथि से ... तिथि तक

(Date of offence) (Day) (Date from) (Date to)

VI. समय (Time) ... *बने से* ... *बने तक*

(Time period) (Time from) (Time to)

VII. प्रथम की तिथि ... समय ...

VIII. प्रथम की तिथि ... समय ...

IX. धारा 143 की तिथि ... समय ...

X. सूचना का प्रकार (Type of information) ...

XI. पता (Address) ...

XII. पता (Address) ...

XIII. पता (Address) ...

XIV. पता (Address) ...

XV. परिवार/सूचना ...

XVI. नाम ...

XVII. पता ...

XVIII. नाम ...

XIX. नाम ...

XX. नाम ...

XXI. नाम ...

XXII. नाम ...

जिशा राज

SARAN

GOVT. OF BIHAR
Magistrate First & Second Class
Saran District, Chhapra
COURT FEE

भारत
INDIA
00000
0000010
-5.1 2016
BIHAR
JUDICIAL

4595 9424651

अनुसूची 47, प्रपत्र सं-118

(2)

47.

ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पत्र लगाना)

① पूर्व फूल पति ② पूर्व रजिस्ट्रार ③ पूर्व सहायक मूल्यांकक
④ पूर्व सहायक राजीव नारायण प्रसाद

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से. मी. में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पुस्तकान चिह्न (Identification card)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*शंत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँक (Eye)	*आदतें (Habits)	सभ्यता (Dress Habit)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुट्ट (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जखम चिह्न (Scar)	*शंभुना (Tattoo)
	13	14	15	16	17

यदि परिवारी/इन्तिला देने वाले/पीडित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विवरण प्राप्त हों, जिनमें से कोई-कोई भी प्रमाणित हो जायेंगे। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायताथे केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जायगा। इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हों, में जोड़ेंगे। जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदिग्ध पर विचार के किए बिना सभी बातों में संश्लेषण व्यवहार नहीं किया जायगा।





58

धानाध्यक्ष महोदय,
मुन्सिपल थाना, छपरा।

ज०पी० विश्वविद्यालय, छपरा के प्रशासनिक भवन के कुलपति कोषांग व वित्त शाखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मूल संचिकाएँ (जो पूर्व में सादी उत्तर पुरितका घोटाले से संबंधित निगरानी विभाग द्वारा दर्ज केस नं०- 10/2015 से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य था) के गायब होने के संबंध में।

निवेदन

निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर स्थित कुलपति कोषांग व वित्त शाखा, परीक्षा विभाग एवं कुलसचिव कोषांग से कई महत्वपूर्ण संचिकाएँ गायब हैं जो कि निगरानी विभाग द्वारा पूर्व में दर्ज प्राथमिकी सं०-10/2015 से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो अभी तक ट्रेसलेस हैं। इस संदर्भ में कुलपति कोषांग के पूर्व सहायक मुन्ना कुमार एवं राजीव नारायण प्रसाद से भी पूछताछ किया गया, लेकिन वे इस संबंध में अनभिज्ञता जताए। उपरोक्त गायब सभी मूल संचिकाएँ निगरानी विभाग द्वारा दर्ज सादी उत्तर-पुरितका घोटाले मामले से संबंधित मूल दस्तावेजी साक्ष्य हैं तथा उक्त मोकदमे के संदर्भ में माननीय सजिस्ट्रार के आदेशानुसार जो कुलपति व पूर्व रजिस्ट्रार व अन्य लोगों के विरुद्ध पदभक्ति व निलम्बन की कारवाई की जा चुकी है तथा निगरानी केस में प्राथमिकी अभियुक्त होने के बावजूद भी पूर्व रजिस्ट्रार व पूर्व रजिस्ट्रार अपने पद पर काफी दिनों तक बने रहे। अतः उपरोक्त परिस्थिति व तथ्यों के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानी केस के कुछ महत्वपूर्ण गामलतद अभियुक्तों द्वारा उक्त संचिकाओं की निगरानी केस में साक्ष्य नष्ट करने हेतु पूर्ण आपराधिक साजिश के तहत अपना पद प्रभाव व गरिमा का दुरुपयोग करते हुए व जीटिंग, फोर्जरी व अमानत में खयालत के नीयत से व निगरानी केस से बचने हेतु गायब किया व कराया गया है व उपरोक्त अपराध को कारित किया गया है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपने स्तर से उचित कार्रवाई कारवाई किया जाय व उपरोक्त गायब किये गए मूल संचिकाओं को तत्काल प्रभाव से यथाशीघ्र बरामद किया जाय ताकि निगरानी विभाग को समय उपलब्ध कराया जा सके।

माननीय कुलपति के आदेश से

प्रतिपत्ति प्रेषित

1. प्रभान राविव, राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार पटना
2. पुलिस अधीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी कांडे संख्या-10/2015, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना

प्रार्थी
जयप्रकाश

कुलानुशासक
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

GOVT. OF BIHAR
Bihar Judicial Institute
Saran Score, Chapra
COURT FEE

भारत
INDIA
C 0000
RS: 000005
-5.1.2016
BIHAR
JUDICIAL

4596 9779617

क्रमांक: 576/2016

(3)

1. आरोपी का नाम क्या है? अथवा उसे किस नाम से जाना जाता है? विषय का कारण:

2. आरोपी की अलगाव/बहाल सम्पत्तियों का ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएँ):

3. आरोपी की अलगाव/बहाल सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)

4. अन्वेषण संख्या क्या है, यदि हो तो (U. D. Case No., if any)

5. आरोपी की अलगाव (अलग से पन्ना लगाएँ, यदि आवश्यक हो)

COOKING DEPT. CIVIL COURT SARAIN

GOVT. OF BIHAR
Registrar to S.P. & Judicial Dept.
Sarain Section, Champara
COURT FEE
Authorisation No. 2284

भारत
INDIA
राज्य
BIHAR
दफ्तर
JUDICIAL
00000
0000105
5.1.2016
375272

4597 5530598

22.75

60

95
27-16

M. M. 15



(1)

वादि का लिखित आवेदन जो इस कार
का मूल आधार है का मूल प्रती मूल के
साथ एव दामा प्रती अन्य के साथ संजला है।

आदेश
[Handwritten signature and date]

[Handwritten signature]
21/10/15
[Handwritten text]

कारवाई : पीक उपर्युक्त सूचना से पर सं० 2 में उल्लिखित घातकों को अत्यंत गंभीर किम्व संभव प्रकार से अतः काय रने
एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया सुभाष कृष्ण पराम पु० आ० सि० का
कारने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इनकार किया/ अधिकारिता को प्रेषण पर _____ वाक को
र्या गया। प्राथमिकी परिषदी/सूचनादाता को पदकर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अधिलिखित किया गया, फाकर स्वीकार
उसकी एक प्रति परिषदी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals
ion of offence (s) a/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation /
Rank _____ to take up the investigation.)
नि राता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।
मालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

[Handwritten signature]
5-1-16

[Handwritten signature]
5-1-16

वाक प्रभारी का हस्ताक्षर
नाम (Name) ...
पदनाम (Designation) ...

Ministry of Government

17/11/15
17/11/15

संख्या 170070 *ANN-8*

प्राथमिकी (F.I.R.)

(सं. 30 सं. को धारा 154 के अधीन)

553

61

क्र. 2015 प्राथमिकी सं. 347/15 तिथि 31/12/15

S. No.	(S. Div.)	(P.S.)	(Yr.)	(F.I.R. No.)	(Date)
1	अपविष्य (Act)	2013 से. वि.		*धारा (Sections) 420/409/34	
2	अपविष्य (Act)	X		*धारा (Sections) X	
3	अपविष्य (Act)	X		*धारा (Sections) X	
अन्य अपविष्य एवं धाराएँ (Other Acts and Sections)					
क. अपराध की घटना <u>शेखा</u> तिथि से <u>31/12/15</u> तिथि तक					
(Date of offence) <u>पूरे</u> (Day) (Date from) (Date to)					
घ. घटना के <u>शेखा</u> *घने से <u>अंकीर गाँव</u> *घने तक					
(Time period) (Time from) (Time to)					
ग. घात से राज सूचना तिथि <u>31/12/15</u> समय <u>15:00 बजे</u>					
घ. प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि <u>31/12/15</u> समय <u>15:00 बजे</u>					
घ. घात दैनिकी संदर्भ-प्रतिष्ठी सं. समय <u>15:00 बजे</u>					

MAHARAJA

1. सूचना का प्रकार (Type of information) लिखित/मौखिक (Written/Oral)

2. बयानकर्ता - (क) जन्म से पता एवं इसे सुरक्षित करिब (दिनांक) 18/11/15 गरा सं. VIII

(ख) पता (Address) श्री गुरुदास विद्या विद्यालय ई.पट्टा जिला-शेखा नारायणपुर प्रखण्ड

(ग) घात का मोह से बाहर होने की दशा में शेखा जिला शेखा

3. पोषार्थ सूचना प्राप्त :

(क) का राज विद्या प्रसाद मिश्र (विद्यार्थी)

(ख) शिक्षक का नाम श्री गुरुदास मिश्र

(ग) जन्म तिथि 20/05/1985 (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ङ) पता सं. शेखा निवास तिथि 31/12/15 निवास स्थान शेखा

(च) पता शेखा

(ज) का श्री आनंद कपूरी जी जी टॉय नारायण जिला, मुफ्फरपुर

संगान अमरावत विद्या विद्यालय नारायण मुफ्फरपुर जिला शेखा

GOVT. OF BIHAR
Bihar State Police Deptt.
Shera, Sone, Chapra
COURT FEE

भारत
00000
00000103
5.1.2015
BIHAR
JUDICIAL
4600 0011506

सूची 47, अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अल्पतः पांच ज्ञात)

① निवर्तमान कुलपति प्र० जितेन्द्र गुप्ता के आ० आर०पी० तलवु-
नरकाजीन कुल सचिव निरंजन पट्ट्यात परस्वापित एच०आ०
कलेज मैरणा

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (दिधि/मास/वर्ष) (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से० मी० में (Height in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*परिचय चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6



*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	*दाँत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आवर्त (Habits)	पट/भूष (Dress, Habit)
7	8	9	10	11	12

हो क
केय
प्रनुसं
संदि
केय
अभा
सिख
सिख
सय

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	*बले का निशान (Burr Mark)	*खैत कुट (Lacodermis)	*मिल (Mole)	*हाथ निशान (Scar)	*गठन (Tattoo)
	13	14	15	16	17

यदि परिवारी/इतिहास देने वाले पंदिह्य व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशेषताएँ न हों, तब भी
प्रतिनिधि को जांचें। इसका उपयोग अनुसन्धानक के महासचिव केवल प्रारंभिक पुष्पा के प्रयोग में ही किया जाय।
इस प्रकार बनाए गए अंकिते बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न जांचाएँ, यदि कोई हो, में प्रयोग
आय कोई अभियुक्त विभिन्न जांचा जाए तब पूर्व-संदिह्य या विधि, के लिए बिना सचि ज्ञात के प्रतिनिधि जांचा की जा
किए जायें।

63

स्थानाध्यक्ष महोदय,
मुख्यालय थाना, छपरा।

विषय— विश्वविद्यालय कार्यालय से निगरानी थाना काण्ड संख्या- 10/2015 से संबंधित आवश्यक मूल अभिलेख/प्रदर्श/प्रमाणक उपलब्ध नहीं होने के संबंध में।

संदर्भ— कुलसचिव द्वारा पदत मार्ग निर्देश एवं निगरानी अधीक्षक के पत्रांक 345/अ0क0 दिनांक 30.12.2015।

महाराज:

निवेदन है कि मैंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में वित्त पदाधिकारी की पद पर महामहिम कुलधिपति के आदेश से स्थानांतरित होकर दिनांक 30.05.2015 को योगदान किया था।

मेरे योगदान के उपरान्त वित्त समिति, क्रय समिति (जिला) में गलेन सदस्य (जिसे मैंने) को सचिव/कार्यवृत्त की पुस्तिका एवं तत्संबंधी आवश्यक अभिलेख की मांग में मरदा रहने लगे हैं। निगरानी काण्ड संख्या-10/2015 में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक 345/अ0क0 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा मूल अभिलेख की मांग करने के उपरान्त मैंने कार्यालय कर्मियों से संबंधित अभिलेख की मांग की।

वित्त समिति की एक संधिका जिसमें 09.07.2015 की बैठक आहूत करने का कुलपति के आदेश के उपरान्त कार्यवाई पूरी नहीं की गयी (सिर्फ सूचना प्रकाशन के अतिरिक्त) कार्यवृत्त का मूल अभिलेख अद्यतन अप्रति है। टंकित प्रतियों में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार क्रय-विक्रय समिति से संबंधित कोई अभिलेख मुझे देखने को नहीं मिला है।

ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2015-2016 के घाउघर के गार्ड फाईल या सारी उत्तर-पुस्तिका अथवा OMR Sheet के क्रय/आपूर्ति से संबंधित कोई भी अभिलेख तत्काल लगभग एक सप्ताह तक तलाशी करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाया है।

इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि निवर्तमान कुलपति डॉ० द्विजेन्द्र गुप्ता, तथा डॉ० आर० पी० बबलू तत्कालीन कुलसचिव, निराम्बन परचात गदस्थापित एच० आर० कॉलेज, मैरवा जो निगरानी काण्ड संख्या 10/2015 में क्रमशः अभियुक्त एवं सह अभियुक्त बनाये गये हैं, के द्वारा जमानत प्राप्त होने के बाद जैसे सारे आवश्यक मूल अभिलेख मायब कर दिये गये हैं जिनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता बाद की सुनवाई के दौरान होती है।

(1)

2/12/15

GOV. OF BIHAR
Registrar, Court & Justice Dept.
Bihar State, Chapra
COURT FELL

Authorization No. 2294

पत्रिका
STAMP
0000053
-5.1.2016
INDIA
375272
BILHAR
4601 8116773

64

निवेदनपूर्वक सूचित करना है कि इस संबंध में माननीय कुलाधिपति, को. आदेश प्राप्त है अतः इस काण्ड को प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाये ताकि भूल कमिश्नर प्राप्त कर ससमय निगरानी विभाग को उपलब्ध कराये जा सकें।

प्रार्थी

(Handwritten signature)
3/12/15

पिता का नाम-स्व. रघुनाथ प्रसाद सिंह
मो. आनन्दपुरी, बीबीगंज,
आना-सदर जिला-मुजफ्फरपुर

(राज किशोर प्रसाद सिंह)
वित्त पदाधिकारी
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो. सं. 8676025989

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. प्रधान सचिव, राज्यपाल-सह-कुलाधिपति, बिहार पटना।
2. पुलिस अधीक्षक-सह-अनुसंधानकर्ता, निगरानी कांड संख्या-10/2015, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।

COILING DEPT. CIVIL COURTS SARAN

GOVT. OF BIHAR
Registrar, Courts & Prisons Dept.
Saran Court, Chhapra
CC-CURT FEE
Authorization No. 2284

भारत
INDIA
STAMP DUTY
000000
0000005
-5.1.2015
375272
BIHAR
JUDICIAL

4602 8317754

संबन्धी व्यक्ति को इस प्रकार से ही हटा दिया जायेगा ;

यदि यह आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत हो (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगावे)

यदि कोई अन्य व्यक्ति सम्बन्धी का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)

अन्तर्भावित मूल्य का है, यदि हो तो (U. D. Case No., if any)

अन्तर्भावित का अन्तर्भाव (अलग से पन्ना लगावे, यदि आवश्यक हो)

COACHING DEPT. CIVIL COURT SARAN

GOVT. OF BIHAR
Registrar, Bank Post Office, Saran
Saran Sadar, Champu
COURT FEE
Authorization No. 2294

भारत
INDIA
Stamp Duty
00000
000005
-5.1.2015
3.15272
BIHAR
JUDICIAL
4603 8518735

10 128
 250
 150

 2828

66 94

 2-1-16

10/15

सूची 47, प्रपत्र सं०-118

(4)



कारि का लिखित आवेदन जी प्रपत्राण का
 मूल आधार है का मूल प्रति प्रति के साथ
 एव दामा प्रति अन्य के साथ संग्रहित है।

[Handwritten signature and stamp]
 5/1/16

[Handwritten signature]
 31/1/16
 (प्रधान निरीक्षक)
 इकाई सुपरीवाहक

[Handwritten signature]
 5-1-16

की गयी कार्यवाही : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद्र सं० 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः कोई कार्य
 किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया प्रधान निरीक्षक पदनाम प्रधान निरीक्षक का
 अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इनकार किया/ अधिकारिता के प्रश्न पर धारा को
 अंतर्गत किया गया। प्राथमिकी परिवारी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने इसे सही रूप में अधिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार
 किया और उसकी एक प्रति परिवारी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals
 commission of offence (s) w/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation /
 directed* Rank to take up the investigation.)

[Handwritten signature]
 5-1-16

परिवारी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निस्तान।
 वक्त से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय -

[Handwritten signature]
 31/1/16
 धारा प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) प्रधान निरीक्षक
 पदनाम (Designation) प्रधान निरीक्षक

[Handwritten signatures and dates at the bottom of the page]

* ANN-9 * 67

The Hon'ble Sp. Judge, Vigilance, North Bihar
Vigilance Case No. 10/2015
Sp. Case No. 03/15

371



राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना-800022

संख्या-जे०पी०यू-21/2014/294 /रा.स(1),

दिनांक - 04.09.2015

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना।

Seen
13/09/15

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक,
निगरानी अन्वेषण यूरो
बिहार, पटना।

विषय:- निगरानी मामला कांड सं०-010/2015, दिनांक 30.01.2015
धारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(बी)आ०द०वि० एवं
धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी)अ०वि०अधि०, 1988 के
अभियुक्त श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा के विलुद्ध धारा 19 अ०वि०अधि०, 1988 एवं धारा-197
दण्डसूत्र के प्रावधानों के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

महोदय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-एस०आर०
-010/2015-निग०-1046/अप०शा०, दिनांक 18.06.2015 के संदर्भ
में सूचित करना है कि महाप्रतिम राज्यपाल सह-कुलाधिपति, बिहार द्वारा
निगरानी विभाग (अन्वेषण यूरो), बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर
सम्यक विचारोपरान्त निगरानी मामला कांड सं०-010/2015, दिनांक
30.01.2015 धारा-409/ 420/ 467/ 468/ 477(ए)/34/
120(बी)आ०द०वि० एवं धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी)
अ०वि०अधि०, 1988 के अभियुक्त श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति, जय
प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विलुद्ध धारा 19 अ०वि०अधि०, 1988
एवं धारा-197 दण्डसूत्र के प्रावधानों के तहत अभियोजन की स्वीकृति
दें की कृपा की गयी है।

1427/S.P.
7.5.14-15
अप-195
दिनांक

अतः तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से
इस सचिवालय को माननीय कुलाधिपति महोदय के सूचनाई अवगत
कराने की कृपा की जाय।

दिशानुभाजन
9.9.15
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना।

STAMPED
0000
0000010
37263
भारत
OFFICE OF THE
COMMISSIONER
OF INVESTIGATION
CANTONMENT
MADRAS

Handwritten signature

874-

* ANN-10 * 68



- 379 -

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

संख्या-जे०पी०यू-27/2015-1309 /स.स(1).

दिनांक 10-07-2015

प्रेषक,

ब्रजेश भेहरोत्रा
राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना।

सेवा में,
पुलिस अधीक्षक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
बिहार, पटना।

Sent
@
13-10-15

विषय:-निगरानी बाला कांड सं०-010/2015, दिनांक 30.01.2015
घारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(बी)भा०द०वि० एवं
घारा-13(2) सह-पठित घारा-13(1)(डी)अ०नि०अधि०, 1988 के
अभियुक्त डा० रवि प्रकाश बबलू, समायोजक, महाविद्यालय विकास
परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर, दर्शन शास्त्र
विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विलुद्ध धारा 19
अ०नि०अधि०, 1988 एवं घारा-197 सम्प्रदा के प्रावधानों के
तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-एस०आर०
-010/2015-निग०-1227/अप०शा०, दिनांक 10.07.2015 के संदर्भ
में सूचित करना है कि महानहिन राज्यपाल सह-कुलाधिपति, बिहार द्वारा
निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर
सम्बन्धित विचारोपरान्त निगरानी बाला कांड सं०-010/2015, दिनांक
30.01.2015 घारा-409/ 420/ 467/ 468/ 477(ए)/34/
120(बी)भा०द०वि० एवं घारा-13(2) सह-पठित घारा-13(1)(डी)
अ०नि०अधि०, 1988 के अभियुक्त डा० रवि प्रकाश बबलू, समायोजक,
महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर,
दर्शन शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विलुद्ध धारा
19 अ०नि०अधि०, 1988 एवं घारा-197 सम्प्रदा के प्रावधानों के
तहत अभियोजन की स्वीकृति देने की कृपा की गयी है।

अतः तदनुसार अद्योत्तर कार्रवाई की जाय एवं कृप कार्रवाई से
इस सचिवालय को माननीय कुलाधिपति महोदय के सूचनार्थ अवगत
कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

9/7/15
(ब्रजेश-भेहरोत्रा)

राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
राजभवन, पटना।



*** ANN-11 * 69**

The - Lower Ct. Spl. Judge. V. B. Bihar

Vigilance Case No. 10/15

Spl. Case No. 13/15

22/03/15

Seen

GICJ/10/15

22/03/15

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 122
आ० सं० प्रपत्र सं० 32

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट

(FINAL FORM/REPORT)

(एचए प्र० संहिता की धारा-173/174 के अधीन)

3271891

मार्ग निरीक्षण विभाग की रिपोर्ट (In the court of)

1. * जिला (Dist.) पटना * प्रमाण विभाग (P.S.) विद्याराजी * वर्ष (Year) 2015 * प्राथमिकी सं० (FIR No.) 10/15 * तिथि (Date) 30-09-15
2. * अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं० (Final Report/Charge Sheet No.) 64/2015 3. * तारीख (DATED) 12-10-2015
4. [1] * अधिनियम (Act) भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 * धाराएं (Sections) 13(1)(b) 14(1)(b)
 [2] * अधिनियम (Act) भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 * धाराएं (Sections) 13(1)(b)
 [3] * अधिनियम (Act) भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 * धाराएं (Sections) 4(7)(b) 13(1)(b)
 [4] * अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts & Sections) 4(7)(b) 13(1)(b)
5. * अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार :— आरोप/पराधम के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/अंतिम रिपोर्ट सत्य-पता नहीं चला/अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपस्थित बिना गया/अंतिम रिपोर्ट-नहीं पतित हुई।
 (Type of Final Form/Report :— Charge Sheet/Not Charge Sheeted for want of evidence/FRT Undetected/
 FRT Untraced/FRT offence abated/FRT Unoccurred)
6. * यदि आ० रि० अस्पष्ट हो :— मिथ्या/तथ्यों की भूल/विधि की भूल/असंगत/दीवानी प्रकृति का (If F. R. Unoccurred ; False/Mistake of Fact/Mistake of law/non-cognizable/Civil Nature.)
7. * यदि आरोप पत्र हो तो भूल/अनुप्राप्त (If Charge-sheet-Original/Supplementary)
8. * अनुसंधान पर्यवेक्षक का नाम (Name of I. O.) सुनील कुमार पदनाम पुलिस अधीक्षक
9. [क] सी/डी/सूचनादाता का नाम श्री. राम कुमार पांडे [ख] पता/संपर्क का नाम स्व० श्री. राम कुमार पांडे
10. अनुसंधान के दौरान बराबद/अस देवी संबंधित/बस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण बिना पर निर्भर किया गया है। यदि आवश्यक हो तो अलग से सुपरी संलग्न की जा सकती है।

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	प्रकटांकित मूल्य (रुपये में)	घना का संबंधित सं०	किससे/कहाँ बराबद या प्राप्त की गयी	निपटाव
1	2	3	4	5	6
<p>अपनी सूक्ति के अनुसार रिपोर्ट पूर्ण अलोक सं० देखिनी में शामिल है।</p>					

5624085 7
 000
 100010 = 14.09.2015
 582

फॉर्म (2) जारी

11. आरोप सहित अभियुक्त व्यक्तियों की विशेषियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लाएं)
(Particulars of accused persons charge-sheeted)

- (i) *नाम (Name)..... डिजेन सुप्रकाश सत्यापित है या नहीं है
- (ii) पिता/पति का नाम..... सुप्रकाश.....
- (iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (iv) लिंग..... पुरुष..... (v) राष्ट्रीयता..... भारतीय
- (vi) पारपत्र सं०..... निर्गम तिथि.....
- (vii) धर्म..... हिन्दू.....
- (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।
- (ix) पेशा..... मुलापति..... (x) क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार/निर्गम
- (xi) *औपचारिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)..... है..... सत्यापित है या नहीं.....
- (xii) *नियमित अपराधि सं० (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if known).....
- (xiii) *गिरफ्तारी की तिथि.....
- (xiv) *जमानत पर रिला होने की तिथि (Date of release on bail).....
- (xv) *न्यायालय में आग्रसारण की तिथि (Date on which forwarded to Court).....
- (xvi) *किस अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections).....
- (xvii) *जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता.....
- (xviii) [Name(s) of bailers/Sureties and address(es)].....
- (xix) क्या निर्देशों सहित पूर्व टोप सिद्ध.....
- (xx) अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused).....

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशेषियां जो आरोप नहीं करे (हरेक संदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पन्ना उपयोग में लाएं)

(Particulars of accused Persons not charge sheeted (separate sheet for each suspect))

- (i) *नाम (Name)..... सत्यापित है या नहीं.....
- (ii) पिता/पति का नाम.....
- (iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (iv) लिंग..... (v) राष्ट्रीयता.....
- (vi) पारपत्र सं०..... निर्गम तिथि..... निर्गम स्थान.....
- (vii) धर्म..... (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।
- (ix) पेशा..... (xi) पता.....
- (x) क्या निर्देशों सहित पूर्व टोप सिद्ध..... सत्यापित है या नहीं.....
- (xi) *औपचारिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.).....
- (xii) *संदिग्ध अनुसूचित (Suspicious Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No).....
- (xiii) *अभियुक्त (संदिग्ध व्यक्ति) का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिला/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिला/या केर अतिरिक्त में गिरफ्तार नहीं किया जा सका। (Status of the accused Suspect) (Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Not arrested).....
- (xiv) किस अधिनियमों और धाराओं के अधीन.....
- (xv) आरोप-पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभियुक्त.....

Seer
 9/12/2018

(3)

13. वन साक्षियों की बयानियाँ निम्नकी प्रतीक्षा की जाएगी।

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिये जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1)	श्री निरंजनी कुमारी	श्री निरंजनी कुमारी				पक्षी
2)	श्री राग इन्द्राणी	श्री राग इन्द्राणी				
3)	श्री श्री सुभा	श्री श्री सुभा				
4)	श्री श्री सुभा	श्री श्री सुभा				
5)	श्री श्री सुभा	श्री श्री सुभा				
6)	श्री श्री सुभा	श्री श्री सुभा				

14. यदि प्राचीनको विधवा हो तो भारतीय दंड संहिता को धारा 182/2111 के अधीन पढ़ी गई या की जाने के लिए प्रस्तावित न का उल्लेख करें।

15. प्रयोधसाल विस्तारण का परिचय

16. केस से संबंधित संक्षिप्त तथ्य [यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगवें।
 (Brief Facts of the Case) [Add separate Sheet if necessary]

संश्लेषण के संलग्न हैं।

9577 930139

BIHAR JUDICIAL

00000

INDIA

OF BIHAR
 COURT & PROSECUTOR
 COURT BHAUPHARPUR
 FREE
 Station No. 2217

72

395 ~~386~~
133

निष्पत्ती (का) क्रमांक 10/2015 - C.S.No - 64/2015 dt. 12-10-15

1. आरोप पत्रित अभियुक्तों की विशिष्टता (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लवें)

- (1) नाम डा. रवि प्रकाश कल्लू सत्यापित है या नहीं - हां
- (2) पिता/पति का नाम.....
- (3) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (4) लिंग पुरुष (5) राष्ट्रीयता भारतीय Serial
12-10-15
- (6) वास्तव संख्या..... निर्वास की तिथि.....
- (7) पता दिल्ली (8) क्या अनुदानित/अनुदानरहित के है.....
- (9) पेशा समाजसेवा केंद्र, दिल्ली पता - अनूप प्रकाश विकास विद्यालय
- (10) औपचारिक आपराधिक संख्या - दिल्ली पुलिस - 12-10-15
- (11) नियमित आपराधिक संख्या.....
- (12) निवास की तिथि-.....
- (13) जमानत पर रिहा होने की तिथि-.....
- (14) न्यायालय में अपराध की तिथि-.....
- (15) निम्न अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन-.....
- (16) जमानतदार/प्रतिभूतिदाता का नाम एवं पता-.....
- (17) केश निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि-.....
- (18) अभियुक्त की परिचयति- अपराधित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा
जमानत पर रिहा/न्यायिक अभियुक्त नै/फरार/उदघोषित अपराधी-

मानव संसाधन
दिल्ली पुलिस

12/10/15



(4)

तामिल की गयी नोटिस का निर्देश करें
(पावती लगाई जाएगी)

हॉगर्ली..... तारीख.....

प्रेषण दिनांक.....
स्टेशन हाउस परदाधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा अधिसूचित।

3
31/10/15
अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायित्व करनेवाले
अनुसंधान परदाधिकारी का हस्ताक्षर।

नाम (शिव कुमार शर्मा)
पदनाम पुलिस अधीक्षक (एच-आर/एफएम)
विभाग (आर/एफएम)
पिछक (आर/एफएम)

नाम सुनील कुमार
पदनाम पुलिस अधीक्षक

अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट
(FINAL FORM/ REPORT)

(दण्ड प्र० संहिता की धारा 173/174 के अधीन)

माननीय विशेष निगरानी न्यायालय
..... मुजफ्फरपुर के न्यायालय में
(in the court of)

1. *जिला...पटना.....*अनुमंडल.....*थाना...निगरानी.....*वर्ष...2015...*प्राथमिकी सं०.....10/15...*तिथि...30/01/2015...
(Dist) (S.Div) (P.S.) (Year) (FIR No.) (Date)
2. *अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र सं०...64/2015... (Final Report/ Charge Sheet No.)
3. *तारीख...12/10/2015... (DATED)
4. (1) *अधिनियम (Act).....शु० नि० अधि०, 1988... *धाराएँ (Sections) 13(2) सह पठित धारा
(2) *अधिनियम (Act).....शु० नि० अधि०, 1988... *धाराएँ (Sections) 13(1) (बी)
(3) *अधिनियम (Act).....शा०द०वि०... *धाराएँ (Sections) 409/420/457/458/
(4) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts & Sections)..... 477(ए)/34/120(बी)

5. *अंतिम प्रपत्र/रिपोर्ट का प्रकार - आरोप पत्र/सक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र नहीं दिया गया/अंकित रिपोर्ट सत्य-यता नहीं चला/ अंतिम रिपोर्ट सत्य-खोज नहीं हो सकी/अंतिम रिपोर्ट सत्य अपराध उपसासित किया गया/अंतिम रिपोर्ट- नहीं घटित हुई ।
(Type of Final Form/ Report :- Charge Sheet/ Not Charge Sheeted for want of evidence/ FRT Undetected/ FRT Untraced/ FR Unoccured)
6. *यदि 30 रि० अघटित हो :- मिथ्या/तथ्यों की मूल विधि की मूल/असंज्ञेय/ दीवानी प्रकृति का
(If F.R. Unoccure : False/ Mistae of Fact/ Mistake of law/ non-cognizable/Civil Nature)
7. *यदि आरोप पत्र हो तो मूल/अनुपूरक
(If Charge-sheet-original/ Supplementary)
8. *अनुसंधान पदाधिकारी का नाम... सुनील कुमार... पदनाम... पुलिस अधीक्षक... सं०...
(Name of I.O.) (Rank) (No.)
9. (क) परिवादी/सूचनादाता का नाम... श्री राम कृष्ण पोद्दार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी...
(ख) पिता का/ पति का नाम...शु० राम कृष्ण पोद्दार...
10. अनुसंधान के दौरान बरामद/जप्त ऐसी संपत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण जिन पर निर्भर किया गया हो । यदि आवश्यक हो तो अलग से सूची संलग्न की जा सकती है ।

क्र.सं.	संपत्ति का वर्णन	प्राक्कलित मूल्य (रुपये में)	थाना का संपत्ति रजिस्टर सं०	किरासे/कहां बरामद या जप्त की गयी	निपटाव
1	2	3	4	5	6
	जपती सूची के अनुसार जिसका पूर्ण उल्लेख कांड दैनिकी में अंकित है ।	-	-	-	-

TRUE TYPED COPY of its original
(A)
(Avanindra Kumar Jt.)
A.O.R.No 03548

11. आरोप पत्रित अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)
(Particulars of accused persons charge-sheeted)

- (i) नाम (Name)..... द्विजेन्द्र गुप्ता सत्यापित है या नहीं हाँ
- (ii) पिता/पति का नाम.....
- (iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (iv) लिंग..... पुरुष (v) राष्ट्रियता..... भारतीय.....
- (vi) पारपत्र सं० निर्गम तिथि.....
निर्गम स्थान.....
- (vii) धर्म..... हिन्दु (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ।
- (ix) पेशा..... कुलपति..... (x) पता..... जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा.....
..... सत्यापित है या नहीं हाँ
- (xi) औपबन्धिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)
- (xii) नियमित अपराधि सं० (यदि ज्ञात हो) Regular Criminal No. (if Known)
- (xiii) गिरफ्तारी की तिथि.....
- (xiv) जमानत पर रिहा होने की तिथि (Date of release on bail).....
- (xv) न्यायालय में अग्रसारण की तिथि (Date of which forwarded to Court).....
- (xvi) किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन (Under Acts & Sections).....
- (xvii) जमानतदारों/प्रतिभूतिदाताओं का नाम और पता.....
(Name (s) of bailers/Sureties and address(es))
- (xviii) केस निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि.....
- (xix) अभियुक्त की परिस्थिति (Status of the accused)
अग्रसारित/पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में /फरार उद्घोषित अपराधी
(Forwarded/Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/Absconding/Proclaimed offender)

12. ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्टियां जो आरोप पत्रित नहीं (सदिग्ध) हैं । (हरेक सदिग्ध व्यक्ति के लिए अलग से पन्ना व्यवहार में लायें)
(Particulars of accused persons not charge sheeted (Separate sheet for each suspect)

ऊर्ध्व

- (i) नाम (Name)..... सत्यापित है या नहीं.....
- (ii) पिता/पति का नाम.....
- (iii) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (iv) लिंग..... (v) राष्ट्रियता.....
- (vi) पारपत्र सं० निर्गम तिथि..... निर्गम स्थान.....
- (vii) धर्म..... (viii) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ।
- (ix) पेशा..... (x) पता.....
..... सत्यापित है या नहीं.....
- (xi) औपबन्धिक अपराधि सं० (Provisional Criminal No.)
- (xii) संदेह अनुमोदित (Suspicion Approved) (हाँ/नहीं) (Yes/No).....
- (xiii) अभियुक्ति (सदिग्ध व्यक्ति) का स्तर : पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/
गिरफ्तार नहीं किया जा सका । (Status of the accused Suspect Bailed by Police/Bailed by Court/in Judicial Custody/
Not arrested).....
- (xiv) किन अधिनियमों और धाराओं के अधीन.....
- (xv) आरोप पत्रित नहीं करने के कारणों सहित कोई विशेष अभ्युक्ति.....

True Typed copy of its original

(Signature)

(Avaninders Kumar/K5)

Atk. no - 03548

13. उन साक्षियों की विशिष्टियां जिनकी परीक्षा की जाएगी।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि/वर्ष	पेशा	पता	दिए जानेवाले साक्ष्य का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री विश्वजीत कुमार चन्देल	पिता- श्री निरसु नारायण सिंह, ग्राम गगौली, परिवारी धाना- मशरक जिला- छपरा।				
2.	श्री राम कृष्ण पोद्दार	पिता स्वः राम शरण पोद्दार, पुलिस उपाधीक्षक सह जाँचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।				
3.	श्री नरेन्द्र कुमार,	पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।				
4.	श्री राम हरि प्रसाद,	पुलिस अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।				
5.	श्री मोहन प्रसाद शर्मा,	पुलिस अवर निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।				
6.	श्री दिलीप कुमार मिश्रा,	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय - अनुसंधानकर्ता				
7.	श्री सुनील कुमार,	पुलिस अधीक्षक, अनुसंधानकर्ता, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।				

14. यदि प्राथमिकी निम्न हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182/211 के अधीन की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करें।

.....

15. प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम.....

.....

16. केस संबंधित सक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)
(Brief Facts of the Case) (Add separate Sheet if necessary.)

संक्षेपनी अलग से संलग्न है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

True Typed Copy of its original
A
(Avinash Kumar (R))
A.O.R.No-03548

निगरानी थाना काण्ड संख्या 10/2015 C.S.No.- 64/2015 dt. 12.10.2015

11. आरोप पत्रित अभियुक्तों की विशिष्टियों (हरेक अभियुक्त के लिए अलग पन्ना उपयोग में लायें)

1. नाम _____ डॉ० रवि प्रकाश बबलू _____ सत्यापित है या नहीं _____ हों _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. जन्म तिथि/वर्ष _____
4. लिंग _____ पुरुष _____ 5. राष्ट्रीयता _____ भारतीय _____
6. पारपत्र संख्या _____ निर्गम की तिथि _____
7. धर्म _____ हिन्दू _____ 8. क्या अनु० जाति/अनु० ज०जाति के हैं _____
9. पेशा _____ समायोजक महाविद्यालय विकास परिषद-सह- 10. पता- जय प्रकाश विश्वविद्यालय
प्रो० स्नातकोत्तर, दर्शन शास्त्र विभाग छपरा ।
11. औपबधिक आपराधिक संख्या-
12. नियमित आपराधिक संख्या-
13. गिरफ्तारी की तिथि-
14. जमानत पर रिहा होने की तिथि- न्यायालय द्वारा सम्मन किया
15. न्यायालय में अग्रसारण की तिथि- जाय ।
16. किन अधिनियमों एवं धाराओं के अधीन-
17. जमानतदार/प्रतिभूतिदाता का नाम एवं पता-
18. केश निर्देशों सहित पूर्व दोष सिद्धि-
19. अभियुक्त की परिस्थिति- अग्रसारित/पुलिस द्वार जमानत पर रिहा/न्यायालय द्वारा
जमानत पर रिहा/न्यायिक अभिरक्षा में/फरार/उद्घोषित अपराधी-

ह०/-
12.10.15

True typed copy of its original

(Amaninder Kumar J.S.)
A.R.No 03540

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. तामिल की गयी नोटिस का निर्देश करें
(पावती लगाई जाएगी)

हैं/ नहीं..... तारीख.....

HO/-
12/10/2015

18. प्रेषण तिथि..... HO/- 12/10.....
स्टेशन हाउस पदाधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा अप्रसारित ।

अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने वाले
अनुसंधान पदाधिकारी का हस्ताक्षर ।


नाम..... (शिव कुमार झा).....

नाम..... सुनील कुमार.....

पदनाम..... पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष..... सं.
निगड थाना- पटना ।

पदनाम..... पुलिस अधीक्षक.....

True typed copy of its original



(Avinindra Kumar /A)

A.No. 03548

257016
14/10/15

14/10/15

14/10/15

14/10/15

14/10/15

74

Seen

gncsp/jubbeny
13-10-15

संक्षेपणी

मिजराजी वामा काण्ड संख्या-
आरोप पत्र संख्या एवं तिथि-

010/2015, दिनांक-30.01.15,
64/15, 12.10.15

यह काण्ड श्री रामकृष्ण पोद्दार, पुलिस उपाधीक्षक, मिजराजी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के नेतृत्व में गठित जाँचदल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक-27.01.15 के आधार पर रानीशोपराम्भ दर्ज किया गया है। प्राथमिकी का सारांश यह है कि परिवारी श्री विश्वजीत कुमार घटेल द्वारा मिजराजी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पास परिवार पत्र एवं राशय पत्र भेजा गया जिसके आलोक में जाँच कराये जाने पर पाया गया कि प्रो० दिनेश गुप्ता, कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, जो हुलाहाबाद के रहने वाले हैं तथा जिन्होंने कुलपति का पदभार ग्रहण करने के पश्चात विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालन करने हेतु पर्याप्त मात्रा में लगभग 4,34,579/- (चार लाख चौरास हजार पाँच सौ उन्नासी) उत्तर पुस्तिका स्टॉक में रहते हुए प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी के अभियुक्तों साथ आपतपत्रिक सहबंध कर एवं अपने घर का भूट दुरुपयोग करते हुए सदोष लाभ पाने तथा जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को सदोष हानि पहुँचाने की नीयत से हुलाहाबाद के एक प्रतिष्ठान चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा०लि० को क्वैर सिविटा आमंत्रित किये ही अधिक धीमे पर उत्तर पुस्तिका की आपूर्ति तथा गोपनीय छापाई का आदेश दिया एवं इसी क्रम में विद्यार्थी का उल्लंघन कर 1,44,88,549/- (एक करोड़ चौवलिस लाख अष्टासी हजार पाँच सौ उन्नास) रुपये का भुगतान किया गया है।

अनुसंधानोपरान्त पाया गया कि इस काण्ड के प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्त

- (1) श्री दिनेश गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (2) श्री दिवांगु कुमार, तत्कालीन परीक्षा निबंधक, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (3) श्री गोपाल प्रसाद आर्या, तत्कालीन निदेशक, परीक्षा, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर स्वाकोसर मनाविज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (4) डॉ० अमिता, स्वाकोसर हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (5) डॉ० अनीत कुमार ठियारी, स्वाकोसर अर्थशास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (6) प्रोफेसर सतेज कुमार वर्मा, स्वाकोसर राजनीति शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (7) डॉ० विजय प्रताप कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सम्प्रति आर०बी०जी०आर० कॉलेज महाराजगंज, सीवान, (8) प्रो० अमिल कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, सम्प्रति ओ०एस०डी० (बित एवं परीक्षा) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (9) डा० रविप्रकाश बबलु, तत्कालीन समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (10) श्री ब्रजकिशोर सिंह, अधिपद सदस्य सम्प्रति पुस्तकालयाध्यक्ष, जगदम्ब कॉलेज छपरा, (11) श्री सोनेलाल सहनी, वित्त पदाधिकारी (12) श्री प्यारे मोहन सहाय, वित्तीय परामर्शी एवं (13) श्री नुसाला दीक्षित, निदेशक चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा०लि०, हुलाहाबाद के विलुप्त प्राथमिकी की धाराओं में आरोप का साथ पाया गया है।

अनुसंधान में पाया गया कि महानगरेम जख्मपाल बिहार, पटना के पत्रांक-बी०एस०यू०-25/84-9265-जी०एस० (1) दिनांक-20.12.86 के माध्यम से बिहार के रानी विश्वविद्यालय के कुलपति को उद्धित किया गया था कि बिहार अन्वेषणविद्यालय बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-4(2) का अनुपालन करते हुए वाम एवं दिनेश समिति का गठन किया जाय। इस अधिनियम में उद्धित कथ एवं दिनेश समिति में विश्वविद्यालय के कुलपति पदेन

2/0
14/10/15

Scanned by
9/10/2015 13:10:15

अध्यक्ष होमें तथा वित्तीय सलाहकार एवं सिंडिकेट द्वारा घयनित तीन सदस्य होमें राज्य वित्तीय पदाधिकारी सदस्य सचिव का कार्य करेंगे। उपरोक्त प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा उक्त अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया इसके अलावे बिहार वित्त नियमावली में दिये गये प्रावधान तथा बिहार विश्व संशोधन नियमावली 2005 के नियम 124 से 131 तक के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया एवं जनताजी प्रविष्टि कर पद का श्रुत दुरुपयोग करते हुए अपने हित में अभिलेख का सृजन किया गया।

इस काण्ड के प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्तों (1) श्री द्विजेन्द्र गुप्ता, कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (2) श्री दिवान्धु कुमार, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (3) श्री गोपाल प्रसाद आर्या, तत्कालीन निदेशक, परीक्षा, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर स्नाकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (4) डॉ० अनिता, स्नाकोत्तर हिन्दी विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (5) डॉ० अजीत कुमार तिवारी, स्नाकोत्तर अर्थशास्त्र, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (6) प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा, स्नाकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (7) डॉ० विजय प्रताप कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सम्प्रति आर०बी०जी०आर० कॉलेज महाराजगंज, सीवान, (8) प्रो० अनिल कुमार, तत्कालीन कुलसचिव, सम्प्रति ओ०एस०डी० (वित्त एवं परीक्षा) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, (9) डा० रविप्रकाश बनलु, तत्कालीन समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद, सम्प्रति एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सभी नौ लोकसेवक एवं गैर लोकसेवक श्री सुशान्त द्विवेदी, निदेशक चन्द्रकला यूनिवर्सल प्रा०लि० के विरुद्ध धारा-13(2) सहायित धारा-16(1)(डी) ध०नि०अधि०, 1988 एवं धारा-409/420/467/468/477(ए)/34/120(बी)-भा०द०वि० के अन्तर्गत सत्य पाया गया एवं आरोप पत्र समर्पित किया। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

8
12/10/15
(सुनील कुमार)

पुलिस अधीक्षक-सह-अनुसंधान पदाधिकारी
मिर्जाबी अन्वेषण द्यूरो, पटना।

Checked by
14/10/15
Asstt

Completed by
14/10/15

Certified to be a true Copy
Authorised VLE Act 1977
14/10/15
Head Clerk
Civil court, Bhuz...

* ANN - 12 * 76

670-7



CONFIDENTIAL

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800011

Letter No. JPU-21/2014- 1628 /GS(I),

Dated- 02.12.2015

From,

Brijesh Mehrotra
Principal Secretary to Governor

To,

Prof. Dwijendra Kumar Gupta
The Vice Chancellor
Jai Prakash University,
Chapra.

Spl. Messenger

Sir,

With reference to the show cause vide Governor Secretariat's letter no. JPU-21/2014-1495/GS(I), dated 26.10.2015, I am directed to enclose herewith a copy of the order dated 02.12.2015, passed by Hon'ble Chancellor, Jai Prakash University, Chapra for your information and compliance of the Order, as desired therein.

Yours faithfully,

Encl. Order sheet

Sd/-

(Brijesh Mehrotra)

Principal Secretary to Governor

Memo No. JPU-21/2014- 1628 /GS(I),

Dated- 02.12.2015

Copy alongwith copy of the order dated 02.12.2015 passed by Hon'ble Chancellor, Jai Prakash University, Chapra forwarded to Principal Secretary Education Dept. Govt. of Bihar/Pro-Vice-Chancellor, J.P. University, Chapra for information and necessary action.

B. Mehrotra
21/12/15
Principal Secretary to Governor

(447)

* ANN-12/1 * 77
ORDER

WHEREAS there were serious allegations of financial irregularities and of criminal misconducts committed/done by Prof. Dwijendra K. Gupta, the Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra for which the Vigilance Investigation Bureau of the State Government had submitted a Preliminary Enquiry Report against Prof. Gupta which lead to the institution of a First Information Report for the offences alleged to have been made under Sections 409, 420, 467, 468, 471, 477(A)/34/120B of the Indian Penal Code and Section 13(2) read with Section 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Vigilance Case No. 10/15) against him and subsequently, I accorded sanction of prosecution for the same. Consequently, the Vigilance Investigation Bureau submitted the charge sheet on 12.10.15 (charge sheet no. 64/15) in the Vigilance Court, whereby and whereunder the allegations U/s 409, 420, 467, 468, 477(A)/34/120B of the IPC and the same U/s 13(2) read with Section 13(1)(d) were found to be true.

AND

WHEREAS after careful examination and consideration of the entire facts and circumstances, I had ordered on 26th October 2015 for issuance of a show cause to the Vice Chancellor Prof. Dwijendra K. Gupta under provisions of Section 11(2) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended up to date) which was issued on the same day granting him a fortnight time to submit his explanation/show cause falling which it was to be presumed that he had nothing to say against the charges leveled against him; The said show cause notice was duly served to him on 26.10.2015.

AND

WHEREAS the Vice Chancellor has yet not submitted his explanation/show cause in compliance of the direction of the Chancellor, and, instead of doing so, the Vice Chancellor has sought for certain papers from this Secretariat, most of which has either been given to him

[Signature]

along with the Police Papers, QR for which this Secretariat is not the right place to seek for which is certainly a delay tactic on part of the Vice Chancellor Prof. Gupta to avoid the show cause notice and in such a situation it is assumed that the Vice Chancellor Prof. Gupta has nothing to say;


AND

WHEREAS after careful examination and consideration of the entire facts and circumstances and after perusal of all the materials placed before me, I am of the firm view that the Vice Chancellor Prof. Gupta has failed to discharge the duty imposed upon him by or under provisions of the Bihar State Universities Act, 1976, the Statutes framed there under and the directions issued on behalf of the Chancellor as the head of the University and that he has acted in manner prejudicial to the interest of the University and also he is incapable of managing the affairs of the University and as a consequence of that, action under section 11(1) of the Bihar State Universities Act, 1976 is required to be taken against him,

AND

WHEREAS I have already consulted the State Government in the matter, I, Ram Nath Kovind, Chancellor, Jai Prakash University, Chapra in exercise of the powers conferred upon me U/s 11(1) of the Bihar State Universities Act, 1976 (as amended up to date) hereby direct Prof. Dwijendra K. Gupta, Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra to submit his resignation on 02.12.2015 failing which it shall be deemed as stipulated U/s 11(3) of the Bihar State Universities Act, 1976 that the said Prof. Dwijendra K. Gupta has resigned from his post and the office of the Vice Chancellor, Jai Prakash University, Chapra shall be deemed to be vacant on a regular basis.

Patna
Date: 02.12.2015


(Ram Nath Kovind)
Chancellor
Jai Prakash University, Chhapra

* ANN-13 * 79



GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Fax/Speed Po

Letter No. JPU-27/2014-

/GS(I),

Dated

From,

U.K. Choubey
Additional Secretary

To,

The Vice Chancellor
Jai Prakash University,
Chapra.

Sub:- To revert back the services of Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Professor in R.B.G.R. College, Maharajganj.

Sir,

With reference to the subject noted above, I am directed to inform that the Hon'ble Chancellor, after due consideration of the matter has been pleased to order to revert back the services of Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Professor to his parent College i.e. R.B.G.R. College, Maharajganj with immediate effect.

The Compliance report of the order of Hon'ble Chancellor be may immediately under intimation addressed to the Principal Secretary to Governor Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna-800022. His e-mail address is secy-gs-bih@nic.in. Fax number of Principal Secretary Cell is 0612-2786178


Yours faithfully,

Sd/-

(U.K. Choubey)
Additional Secretary
Dated 26-11-2014

Memo No. JPU-27/2014-1595 /GS(I),

Copy forwarded to Dr. Ravi Prakash (Bablu), Assistant Professor R B G B College, Maharajganj for information and necessary action.


Additional Secretary

* ANN-14 *

80

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-231121(I) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No. 5996(R)

Dated: 27.11.2014

Notification

Pursuant to the letter of the Governor's Secretariat, Bihar, Raj Bhavan, Patna, bearing letter no. JPU-27/2014-1595/GS(I), dated 26.11.2014, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to revert back the service of Dr. Ravi Prakash "Babloo", Associate Professor, P.G. Department of Philosophy, Jai Prakash University, Chapra to R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan with immediate effect.

However, Dr. Ravi Prakash "Babloo" will continue to discharge the functions and duties of C.C.D.C & P.R.O. of this University on deputation.

Ant Singh
Registrar 27.11.14

Memo no:- 5996(R)

dated:- 27.11.2014

CC. to:-

Teacher concerned

Principal, R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan

Head, P.G. Department of Philosophy, Jai Prakash University, Chapra

Principal Secretary, Governor's Secretariat, Bihar, Patna

Secretary, Department of Education, Bihar, Patna

F.O., Jai Prakash University, Chapra

P.A. to VC/Pro VC/Registrar

for information & necessary action.

Ant Singh
Registrar 27.11.14

संसदपालिका सचिवालय, विहार

दिनांक 24.12.2014

गणपति, पृष्ठ 89/2014

दिनांक 24.12.2014

यु.के. चौधरी
अपर सचिव

सेवा में

कुलाधिपति

उप प्रकाश विरवा विद्यालय

उप प्रकाश (बबल) सहस्यक प्राध्यापक को सेवा आरम्भी-जी-आर कॉलेज, महागर्ज में वापस किये जाने के उपरान्त विरवा विद्यालय मुख्यालय में समायाजक, कॉलेज विकास परिषद एवं जन-संपर्क पराधिकारी के पद पर प्रतिनिधुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के पत्रांक-ज.पी.न्यू-27/2014-1595

उत्तर (1), दिनांक 26.11.2014 को ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेशोपगत डॉ. रवि प्रकाश (बबल), सहायक प्राध्यापक को सेवा उनके पूर्वक महाविद्यालय, आरम्भी-जी-आर कॉलेज, महागर्ज में वापस किये जाने एवं इस मामले में अनुपलब्ध प्रमाणों के अभाव में इस सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था।

सचिवालय की अधिसूचना-5996 (आ), दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से डॉ. बबल को विरवा विद्यालय मुख्यालय में ही समायाजक, कॉलेज विकास परिषद एवं जन-संपर्क पराधिकारी के पद पर प्रतिनिधुक्ति किया गया है।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्पूर्ण मामले पर विचारोपरान्त दिये गये आदेश के अलावा में कृपया स्वीति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन तर्जुमा करें कि किस आधार पर प्रतिनिधुक्ति का आदेश स्थानान्तरण के बाद किया गया।

अनुग्रह है कि उपर्युक्त मामले में अपना प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर माननीय कुलाधिपति महोदय के अयत्नोक्तार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विरवा विद्यालय

(Handwritten Signature)

यु.के. चौधरी

अपर सचिव

राज्यपाल सचिवालय बिहार

राजभवन पटना - 800023

पत्रांक जे०पी०यू० 1660 / रा० स० (I) दिनांक 24.12.2014

प्रेषक

यू० के० चौबे
अपर सचिव

सेवा में,

कुलपति
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा ।

विषय:- डा० रवि प्रकाश (बबलू) सहायक प्राध्यापक की सेवा आर० बी० जी० आर० कॉलेज महाराजगंज में वापस किए जाने के उपरांत विश्वविद्यालय मुख्यालय में समायोजक, कॉलेज विकास परिषद एवं जन-संपर्क पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस सचिवालय के पत्रांक जे०पी०यू० - 27 / 2014 - 1595 रा० स० (I) दिनांक 24.12.2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेशोपरान्त डा० रवि प्रकाश (बबलू), सहायक प्राध्यापक की सेवा उनके पैतृक महाविद्यालय आर० बी० जी० आर० कॉलेज महाराजगंज में वापस किए जाने एवं इस मामले में अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब इस सचिवालय को उपलब्ध कराए जाने का निदेश दिया गया था ।

विश्वविद्यालय की अधिसूचना - 5996 (आर) दिनांक 27.11.2014 के माध्यम से डा० बबलू का विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही समायोजक, कॉलेज विकास परिषद एवं जन-संपर्क पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति किया गया है ।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्पूर्ण मामले पर विचारोंपरांत दिए गए आदेश के आलोक में कृपया स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करे कि किस आधार पर प्रतिनियुक्ति का आदेश स्थानांतरण के वाद किया गया ।

अनुरोध है उपर्युक्त मामले में अपना प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर माननीय कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ इस सचिवालय को उपलब्ध करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- अस्पष्ट

24.12.2014

(यू० के० चौबे)

अपर सचिव

*This is the true copy
of its original.*

*Kumshojan Kumar Jha
Advocate
Aon 03189*

* ANN-16 *

82



जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No. - V.C. ~~537~~ 537

Dated: 09/12/2015

Office Order

In partial compliance of the letter no. JPU-27/2015-1607/संसा(1) dated 24.11.2015 of OSD (Judicial) Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to remove Dr. Ravi Prakash 'Babloo' from the post of Registrar, J. P. University, Chapra relieving him from all the responsibilities such as CCDC and PRO of the University with the immediate effect. He is directed to join his parent organization R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan.

The Vice-Chancellor has also been pleased to appoint Prof. Ashok Kumar HOD P.G. Deptt. of Chemistry as Registrar, J. P. University for interim period till incumbent Registrar is appointed by the Hon'ble Chancellor.

By the order of the Hon'ble Vice-Chancellor

Sd/-

(S.A. Atta)

Controller of Exams.
& Registrar In Charge

Memo No. ~~537~~ 537

Dated-09/12/2015

Copy forwarded to :

1. Dr. R. P. Babloo, the present Registrar, J.P.Univ., Chapra
2. Prof. Ashok Kumar, HOD Deptt. of Chemistry, J.P. Univ., Chapra
3. Principal Secretary to the Governor of Bihar, Raj Bhawan, Patna.
4. Principal Secretary, HRD, Govt. of Bihar, Patna.
5. All the Officers of the University
6. All the Dean/Head (P.G. Deptt.) J.P.University, Chapra
7. All the Principals of J. P. University, Chapra.
8. P.A. to VC/Pro VC.

for information and necessary action.

S.A. Atta
9.12.15
Controller of Exams.
& Registrar In Charge

* ANN-17 * 83



GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR
RAJ BHAVAN, PATNA-800022

Speed Post

Letter No.-JPU(Appeal)-13/2016-1416/GS (I), Dated-

From, A.L. Srivastav
Officer on Special Duty (Judl.)

To, The Vice Chancellor,
Jai Prakash University,
Chapra

Sub.: Appeals filed by the teacher namely (I) Dr. Ajit Kumar Tiwary(II)Dr. Anil Kumar(III)Dr. Saroj Kumar Verma(IV)Dr. Gopal Prasad Arya(V)Dr. Anita (VI)Shri Vijay Pratap Kumar(VII)Dr. Dibanshu Kumar and (VIII) Dr. Ravi Prakash, "Babloo".


Ref.- Hearing held on 27.07.2016.

Sir,

I am directed to invite a reference to this Secretariat's letter no. JPU(Appeal)-13/2016-1298/GS(I), dated 15-07-2016 on the above subject and to enclose herewith a copy of the order dated 28.07.2016 passed by the Hon'ble Chancellor after hearing the concerned parties and the University for information and follow up necessary action forthwith under intimation to this secretariat.

Encl.- As above.

Yours faithfully,


(A.L. Srivastav)
Officer on Special Duty (Judl.)

File No.- JPU-12/2016

Dr. Saroj Kumar Verma vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-28/2016

Dr. Anil Kumar vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-11/2016

Dr. Ajit Kumar Tiwari vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-21/2016

Dr. Gopal Prasad Arya vs. J.P. University, Chapra

File No - JPU-13/2016

Dr. Anita vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-25/2015

Dr. Dibanshu Kumar vs. J.P. University, Chapra

File No. - JPU-26/2014

Dr. Vijay Pratap Kumar vs. J.P. University, Chapra

&

File No. - JPU-27/2014

Dr. Ravi Prakash, 'Babloo' vs. J.P. University, Chapra

Order

28.07.2016

Since aforementioned all appeals relate with the suspension of the appellants, hence for the sake of convenience all appeals are being decided by the and same order.

Facts of the cases in brief are that by an order contained under Memo No 7254/R dated 19.12.2015, seven appellants were put under suspension with immediate effect by the authority under University. And by another order contained under Memo No. 7255/R dated 19.12.2015 the appellant Dr. Ravi Prakash 'Babloo' was put under suspension with immediate effect.

In both the orders it was stated that in compliance with the order of His Excellency the Governor-cum-Chancellor, J.P. University, Chapra contained in the letter of Sri A.L. Srivastav, O.S.D.(Judicial), bearing No. JPU-27/2015-1607/GS(1)

P. K. Srivastav

dated 24.11.2015, the Vice Chancellor under Section 69(4) of the Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date, decided to place the appellants under suspension.

The appellants vide their Memo of appeals denied the allegations levelled against them and challenged the legality of impugned order of suspension and prayed for its quashing, mainly on the ground that the impugned orders of suspension are against the provisions of the B.S.U. Act and its Statute.

The University in its reply submitted that under direction of this Secretariat the appellants were put under suspension. The University subsequently constituted a committee to initiate departmental proceedings against the appellants and the committee was of the opinion that, "the suspension of these teachers may be revoked with a condition that neither they would be assigned any administrative responsibility nor would be nominated/selection/appointed to any statutory body/committee of the University till the pendency of the case in Hon'ble High Court. Also they may be transferred to other colleges/departments as punitive major after revocation of their suspension".

The University further submitted that an F.I.R. was lodged against the appellant Dr. R.P. 'Babloo' by the then Finance Officer in connection with missing of files.

Point for consideration:-

Whether the orders of suspension contained in Memo No. 7254/R and 7255/R dated 19.12.2015 are valid and legal ?

The impugned orders show that in compliance with the order of this Secretariat dated 24.11.2015, the Vice Chancellor decided to put the appellants under suspension. But from bare perusal of the contents of the letter dated 24.11.2015 issued under the sign of O.S.D.(Judicial), it appears that consequent upon submissions of the charge sheet against the appellant in Vigilance Case No. 10/2015, the Vice Chancellor, J.P. University, Chapra was asked to take disciplinary action against the appellants against whom the charge sheet has been submitted by the Vigilance.

R. Subramanian

The files reveal this fact that without initiating any disciplinary proceedings ~~demanding any show cause~~ to the appellants the authority under University put them under suspension, which is against the principle of natural justice as well as Clause 10 of General Conditions of Service of employees.

Clause 10(1) of the aforementioned statutory reads as follow:-

"A University servant should be placed under suspension for reasons to be recorded in writing and while doing so the following principles may be observed:-

- (i) If a University servant is being prosecuted on a criminal charge, he should be placed under suspension if he has been refused bail by the court and has been committed to prison.*
- (ii) In cases of criminal prosecution, a University servant should be suspended if the charge against him is such that on being found guilty of it, he is likely to be sentenced to a term of imprisonment, or on which he would be dismissed or removed from service, in a departmental enquiry. In such cases however the order of suspension need not be passed in every case immediately after cognizance has been taken. In suitable cases it may be passed after charges have been framed".*

It is to be mentioned here that during course of hearing it became clear that all the appellants were enlarged on bail and they were never in jail custody for a moment and the Vigilance Case is still pending before the Court.

In support of their contention the counsel for the appellants filed a copy of decision reported in 2011(1) PLJR, 453.

In the instant case the Hon'ble High Court, Patna has been pleased to observe that, *"In the present, the documents indicate that when the suspension order was issued, no departmental proceeding has been initiated. Clause 10(ii) of the statute is very specific, that once a departmental proceeding is initiated and prima facie evidence is there, in support of the severe charges, suspension order can be issued. The departmental proceeding is presumed to have been initiated when charges are framed and served on the delinquent. The Enquiring and Conducting Officers are appointed, head office of the delinquent is fixed and the order is passed*

R. K. Singh


regarding payment of subsistence allowance. Unless these formalities are done, it cannot be said that departmental proceeding has been initiated".

The record shows that the impugned orders of suspension had not been issued subsequent to initiation of any departmental proceeding. Moreover, there is no dispute that on the date of issuance of suspension order the departmental proceeding was not initiated.

Therefore, considering the above facts and circumstances of the matters, I am of this view that the authority under University had no jurisdiction to issue orders of suspension contained under Memo No. 7254/R & 7255/R dated 19.12.2015 which is in violation of statutory provision as well as in violation of principles of natural justice.

Accordingly, the impugned orders of the suspension issued against the appellants are not sustainable and hence the same are quashed. Consequently the suspension orders of the appellants are revoked from the date of their suspension.

The authority under University is directed to notify this order positively by 30th July, 2016.


(Ram Nath Kovind)
Chancellor of the Universities

Date:— 28.07.2016

जय प्रकाश विश्वविद्यालय



राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

88

Letter No.

Dated:-

Office Order

In compliance of the order of the His Excellency the Governor cum Chancellor, J. P. University Chapra, contained in the letter of Sri A. L. Shrivastav OSD(J) bearing No: JPU-27-2015-1607/रा.स.(1) dated 24.11.2015, the Hon'ble Vice-Chancellor, under section 69(4) of Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date has been pleased to place following employees under suspension with immediate effect.

During suspension period they are attached to the colleges stated against their names where they are required to report daily.

S.No.	Names	Places where attached
1.	Dr. Ajeet Kumar Tiwari, Dept. of Economics, J. P. University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2. ✓	Dr. Saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daudpur
3.	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J. P. University, Chapra, Dept. of Physics, J. P. University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4.	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam., Dept. of Psychology, J. P. University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5.	Dr. Anita Dept. of Hindi, J. P. University, Chapra	Y.N. College, Eightwara
6.	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J. P. University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdan College, Chapra	H.R.College, Amnour
7.	Dr. Dibanshu Kumar Ex Controller, J. P. University, Chapra Dept. of Sanskrit, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daudpur

Sd/-
(Dr. Ashok Kumar)
Registrar

Memo No. 7254 (R)

Dated- 18/12/15

Copy forwarded to :

1. Persons concerned
2. Principals, concerned Colleges
3. Principal Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan, Patna
4. Dr. A. L. Shrivastav OSD(J), Raj Bhawan, Patna
5. All Officers of the University
6. I.A., J. P. University, Chapra
7. F.O., J. P. University, Chapra
8. P.A. to VC/Pro VC/Registrar, J. P. University, Chapra
for information and necessary action.

38
19/12/15
Registrar



जय प्रकाश विश्वविद्यालय ⁹³ 89

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No. 7912-EST-I (R)

Date: 30.07.2016

Memo No. -

Date

Copy forwarded to :

1. Person concerned
2. Principal concerned colleges
3. Mr. A. L. Shrivastava, OSD(J), Raj Bhawan Patna
4. All Officers, J. P. University, Chapra;
5. F.A., J. P. University, Chapra
6. P.A. to Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor/Registrar, J. P. University, Chapra:
for information and necessary action.

[Signature]
30.7.16
Registrar

[Signature]
30.07.16

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA – 841301, BIHAR (INDIA)

Tel No. 06152 – 233121 (O) 233509 (R) FAX – 06152- 233507 (O)

Letter No.

Dated

Office Order

In compliance of the order of His Excellency the Governor = cum – Chancellor, J.P.University, Chapra contained in the letter of Sri A.L.Srivastava OSD (J) bearing No. JPU-27 – 2015 – 1607 / रा०स० (1) dated 24.11.2015, the Hon'ble Vice Chancellor, under section 69(4) of Bihar State Universities Act, 1976 as amended upto date has been pleased to place the following employees under suspension with immediate effect.

During suspension period they are attached to the colleges stated against their names where they are required to report daily.

S.No.	Names	Places where attached
1	Dr. Ajit Kumar Tiwari Dept. of Economics, J.P.University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2	Dr. saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J.P.University, Chapra	N.L.S.College, Daudpur
3	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J.P.University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam. Dept.of Psychology, J.P.University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5	Dr.Anita Dept.of Hindi, J.P.University, Chapra	Y.N.College, Dighwara
6	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J.P.University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H.R.College, Amnour
7	Dr. Dibanshu Kumar, Ex Controller, J.P.University, Chapra, Dept. of Sanskrit, J.P.University, Chapra	N.L.S.College, Daudpur

Sd/-

(Dr. Ashok Kumar)

Registrar

Memo No. 7254 (R)

Dated 19/12/15

Copy forwarded to :

1. Persons concerned
2. Principals, concerned Colleges
3. Principal Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhawan. Patna
4. Dr. A.L.Srivastava OSD (J), Raj Bhawan, Patna
5. All Officers of the University
6. F.A., J.P.University, Chapra
7. F.O. J.P.University, Chapra
8. P.A. to VC / Pro VC / Registrar, J.P.University, Chapra for information and necessary action.

Sd/-

19/12/15

True copy of its original.

Runsharan Kumar Jha
Ashok
Aon 03189

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

(89)

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA - 841301, BIHAR (INDIA)

Tel No. 06152 - 233121 (O) 233509 (R) FAX - 06152- 233507 (O)

Letter No. 7912 - EST - I (R)

Dated 30.07.2016

Memo No.

Dated

Copy forwarded to :-

1. Persons concerned
2. Principals, concerned Colleges
3. Mr. A.L.Srivastava OSD (J), Raj Bhawan, Patna
4. All Officers of the J.P.University, Chapra
5. F.A., J.P.University, Chapra
6. P.A. to Vice Chancellor / Pro Vice Chancellor / Registrar, J.P.University, Chapra for information and necessary action.

Sd/- Illegible
30/7/16
Registrar

Sd/- Illegible
30/7/16

1
It is the true copy
of its original.

1
Sunshettan Kumar
Advocate
Aon 03189

* ANN - 19 *

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

एन-19

90



राहुल सांस्कृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06162-233121(O) 233509(R) FAX- 06162-233507(O)

Letter No.- 3912-EST I (R)

Date: 30.07.2016

Notification

In compliance with the order of the Hon'ble Chancellor as contained in Governor's Secretariat letter no. JPU(appeal-13/2016-1416/GS(1) dated 28.07.2016 the Vice-Chancellor has been pleased to revoke the suspension of the following teachers from the date of their suspension.

S.No.	Name	Colleges where headquarters fixed earlier
1.	Dr. Ajeet Kumar Tiwari Dept. of Economics, J.P. University, Chapra	Gopeshwar College, Hathua
2.	Dr. Saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J. P. University, Chapra	Rajendra College, Chapra
3.	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J. P. University, Chapra Dept. of Physics, J. P. University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4.	Sri. Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam., Dept. of Psychology, J. P. University, Chapra	R.B.G.R. College, Mahanagpur
5.	Dr. Anita, Dept. of Hindi, J. P. University, Chapra	Y.N. College, Dighwara
6.	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex-Registrar, J. P. University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H. R. College, Amnour
7.	Dr. Dibanshu Kumar Ex-Controller, J. P. University, Chapra Dept. of Sanskrit, J. P. University, Chapra	N.L.S. College, Daupur
8.	Dr. R. P. Babloo Ex-Registrar, J. P. University, Chapra Dept. of Philosophy, J. P. University, Chapra	H. R. College, Mairawa

Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect, until further order to the colleges where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above.

Sd/-
Registrar

Continued

30.7.16



जय प्रकाश विश्वविद्यालय 91

राहुल सांकृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)
Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

Letter No.-7912-EST-I(R)

Date:-30.07.2016

Memo No.-

Date

Copy forwarded to :

1. Person concerned
2. Principal concerned colleges
3. Mr. A. L. Shrivastava, OSD(J), Raj Bhawan Patna
4. All Officers, J. P. University, Chapra;
5. F.A., J. P. University, Chapra
6. P.A. to Vice-Chancellor/Pro Vice-Chancellor/Registrar, J. P. University, Chapra:
for information and necessary action.

Signature
30.7.16

Registrar

Signature
30.7.16

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा – 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA – 841301, BIHAR (INDIA)

Tel No. 06152 – 233121 (O) 233509 (R) FAX – 06152- 233507 (O)

Letter No. 7912 – Est I (R)

Dated 30.07.2016

Notification

In compliance with the order of the Hon'ble Chancellor as contained in Governor's Secretariat letter no. JPU (appeal-13/2016 - 11416 / GS (1) dated 28.07.2016, the Vice Chancellor has been pleased to revoke the suspension of the following teachers from the date of their suspension.

S.No.	Names	Places where attached
1	Dr. Ajit Kumar Tiwari Dept. of Economics, J.P.University, Chapra	Gopeshwar College, Hathwa
2	Dr. saroj Kumar Verma Dept. of Pol. Science, J.P.University, Chapra	Rajendra College, Chapra
3	Prof. Anil Kumar Ex-Registrar, Ex OSD, J.P.University, Chapra Dept. of Physics, J.P.University, Chapra	Narain College, Goreakothi
4	Sri Gopal Pd. Arya Ex Director, Exam. Dept.of Psychology, J.P.University, Chapra	R.B.G.R. College, Maharajganj
5	Dr.Anita Dept.of Hindi, J.P.University, Chapra	Y.N.College, Dighwara
6	Dr. Bijay Pratap Kumar Ex Registrar, J.P.University, Chapra Presently, Dept. of Psychology, Jagdam College, Chapra	H.R.College, Amnour
7	Dr. Dibanshu Kumar, Ex Controller, J.P.University, Chapra, Dept. of Sanskrit, J.P.University, Chapra	N.L.S.College, Daudpur
8	Dr. R.P.Babloo Ex – Registrar, J.P.University, Chapra Dept. of Philosophy, J.P.University, Chapra	H.R.College, Mairwa

Further, in the light of the recommendation of the committee constituted for departmental enquiry the aforesaid teachers are hereby transferred and posted with immediate effect until further order to the colleges where their headquarters were fixed during suspension; mentioned against their names as above.

Sd/-
Registrar

जय प्रकाश विश्वविद्यालय

(91)

राहुल संस्कृत्यायन नगर, छपरा - 841301, बिहार (भारत)

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANSKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA - 841301, BIHAR (INDIA)|||||||

Tel No. 06152 - 233121 (O) 233509 (R) FAX - 06152- 233507 (O)

Letter No. 7912 - EST - I (R)

Dated 30.07.2016

Memo No.

Dated

Copy forwarded to :-

1. Persons concerned
2. Principals, concerned Colleges
3. Mr. A.L.Srivastava OSD (J), Raj Bhawan, Patna
4. All Officers of the J.P.University, Chapra
5. F.A., J.P.University, Chapra
6. P.A. to Vice Chancellor / Pro Vice Chancellor / Registrar, J.P.University, Chapra
for information and necessary action.

Sd/- Illegible
30/7/16
Registrar

Sd/- Illegible
30/7/16

STAMP
18.00

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT PATNA**

VAKALATNAMA FOR PETITIONER

CWJC No. _____ of 2021

Rajan Kumar Petitioner

VERSUS

The Chancellor of Universities & Others Respondents

Know all men by those Presents by this Vakalatnama
I / We

Rajan Kumar, aged about 23 years, Sex – Male, S/o
Jitendra Singh, R/o village – Jagdishpur, P.O. + P.S. –
Maharajanj, District – Siwan, Pin Code - 841238.

Do here by

Appoint the advocates noted below in the margin or any of
Them as my / our lawful Advocate in the above mentioned
case for appearing, conducting and arguing the same or
depositing or withdrawing any money in connection
therewith or putting in papers petition etc. On my / our
behalf filling or taking back any document or withdrawing
suit appeal or application with permission to institute fresh
suit etc and make compromise and for referring the case for
arbitration and for doing all acts that be necessary to be
done in connection with said acts. I / We, further say that
any act done by my / our said Advocate or any one of them
after accepting this Vakalatnama shall be considered of my /
our true and lawful act and shall bind on me / us.

Mr. Purushottam Kumar Jha, Advocate.

Mr. Avanindra Kumar Jha, Advocate.

Mr. JITENDRA ACHARYA, Advocate

Mr.


To the above effect I / We execute this Vakalatnama

Dated 06.07.2021



श्री 1671 गीतिका

Received vakalatnama through the executant
and accepted the same.



(PURUSHOTTAM KUMAR JHA)


ADVOCATE

A.O.R. No. 03189

Chamber No. 39, B.B.C.B.

Patna High Court, Patna.

Mob. No. 09431043413



(AVANINDRA KUMAR JHA)

ADVOCATE


A.O.R. No. 03548

Chamber No. 39, B.B.C.B.

Patna High Court, Patna.

Mob. No. 09199427875

1



(Dipendra Acharya) Advocate

AOR No. - BR/2-675/1998

Add: - Do as above

Mobile No - 9801791281